

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ROW में पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.8057 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/WATER/151757/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 016/2023-BHO/ दिनांक 28.06.2023

—0—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 12 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

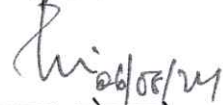
क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Administrative approval / sanction letter of the project shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.09.2020 प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।
2	Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (with full project KML file) shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा वनक्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र की पूर्ण KML file ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।
3	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted /uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली के हस्ताक्षर सहित justification ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।
4	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, Road, TL etc) shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
5	It is a new pipeline project, alternative alignment of with comparative statement shall be submitted / uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया है कि ऑनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक D में लेख किया है कि प्रकरण में अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।
6	KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण में अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा Detailed muck calculation and muck disposal scheme प्रस्तुत की है, जो संलग्न है।

8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है।
9	As per covering letter of proposal, the CA area proposed over 20.80 ha but CA scheme is only for 17.00 ha. Also as per the DSS analysis, the proposed CA area has 7.00 ha VDF and 7.00 ha MDF. Thus, revised CA scheme shall be submitted / uploaded.	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा सिंगरौली जिले के खसरा क्रमांक 245 में 20.80 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 17.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि वृक्षारोपण योजना बनाई गई है। इस 17.00 हेक्टेयर योजना में इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य 02 प्रकरण भी सम्मिलित है। जिसका ऑनलाईन क्रमांक/ 151757 एवं 426197 है।
10	As per the covering letter, the pipeline is proposed along roadside but as per the KML file many of part of pipeline is not along road. This shall be clarified.	आवेदक संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 10.07. 2023 से अवगत कराया है कि The Proposed pipeline is applied under Non-Row & CA land for the same is provided.
11	The proposed diversion area is part of elephant corridor, so comments of CWLW, M.P. shall be submitted.	प्रकरण में प्रभावित वनभूमि संजय टाइगर रिजर्व के हाथी कॉरीडोर में होने के कारण मुख्य वन्यप्राणी अरिक्क एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) ने आशासकीय टीप क्र. /726 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अभिमत प्रदान किया गया है, छायाप्रति संलग्न है। वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा भी अपने पत्र दि. 01.07.2024 से अवगत कराया है प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कॉरीडोर में सम्मिलित नहीं है।
12	As per the KML of all four proposals (FP/MP/ WATER / 151448/2022, FP/MP/WATER / 151757/2022 and FP/MP/ WATER / 144394 / 2022 and FP/MP/ WATER / 154848/ 2022), it seems that all proposals are co-related to each other. Why a consolidated proposal is not submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रपोजल नम्बर (FP/MP/WATER/ 154848/ 2022) is belongs to Waidhan-2 Scheme and Rest 3 Proposals are associated with Gond Devsar MVS for Gravity and Distribution Main all Pipeline and All these Proposals are Applied Zone wise.

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

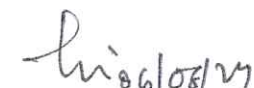
भवदीय


(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1207/2022/10-11/4198
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 6-8-24

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
 3. महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन संरक्षक रीवा वन वृत्त रीवा

केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म0प्र0
Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in,

क्रमांक/मा.चि./2024/ 5544
प्रति,

रीवा दिनांक 12.07.2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल म0प्र0

- विषय:- सिंगरौली जिले में गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ROW में पाइप लाईन बिछाने हेतु 4.8057 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित,सिंगरौली को उपयोग पर देने वावत्। (FP/MP/WATER/151757/2022)
- संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/ 1207/2022/10-11/2669 दिनांक 30.06.2023
2. व0म0अ0 सिंगरौली का पत्र क्रमांक/तक/4167 दिनांक 01.07.2024

-----000-----

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में 12 बिन्दुओं पर जानकारी चढ़ी गई थी, जिसमें वन मण्डलाधिकारी,सिंगरौली द्वारा संदर्भित पत्र-2 से उक्त जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	बिन्दु	जानकारी
1	Administrative Approval/Sanction letter of the project shall be submitted/uploaded.	म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/एफ 16-21/2020/2/34/(2951) दिनांक 22 सितम्बर 2020 से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, छायाप्रति संलग्न है।
2	Full KML file of layout plan of Forest Area and Non Forest Area with full project KML file shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि KML file depicting Forest Area and Non Forest Area in Google Drive https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLJA7mrdLpe-n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web
3	Justification for location of the project in forest land (Counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	Justification for location of the project में वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा Counter signed किया गया है, जिसकी प्रति अपलोड की जाकर संलग्न की गई है।
4	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, Road, TL etc.) shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा एमपीआरडीसी सीधी का पत्र क्रमांक 2147 दिनांक 11.11.2022 एवं महाप्रबंधक,म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई बैङ्कन, जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 1253 दिनांक 05.08.2021 द्वारा अनापत्ति प्राप्त की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
5	It is a new pipeline project, alternative alignment of with comparative statement shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदन के भाग-1 पैरा-डी में लेख किया गया है कि There is no alternative option is available
6	KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि It is allready Shown in Para-D of part-I proposal, where it is clearly mentioned no, it means there is no alternative option is available.
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	Detailed muck calculation and muck disposal scheme आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the lay out plan shall be submitted.	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the lay out plan आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
9	As per covering latter of proposal the CA area proposed over 20.80ha. but CA scheme is only for 17.00ha.	न्यायालय कलेक्टर,जिन्ना सिंगरौली द्वारा आदेश दिनांक 13.12.2022 से आराजी खसरा क्रमांक 245 रकबा 20.80 हे. भूमि उपलब्ध कराई गई थी किन्तु उसमें से 17.00 हे. रकबा ही उपयुक्त पाये जाने के

KAMLESH\d\Narendra\DM-section\dm-memo.docx

Page 703

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

227

	also as per the DSS analysis, the proposed CA area has 7.00ha. VDF and 7.00ha. MDF. Thus revised CA scheme shall be submitted/uploaded.	कारण न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/अ-20(3)/ 2022-23 दिनांक 26 जून 2024 से उक्त आदेश को संशोधित कर 17 हे. भूमि वन विभाग को प्रदाय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा DSS में 7 हे. VDF और 7.00ha. MDF. पाये जाने पर 17.00 गैर वन भूमि में 17.00 हे. घेराव तथा 3000 पौधे लगाये जाने की एवं 14.00 हे. वनभूमि में 14000 पौधे लगाये जाने की संशोधित रोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा के आदेश क्रमांक 151 दिनांक 27.06.2024 से जारी की जाकर पोर्टल के भाग-2 में अपलोड किया गया है, प्रति संलग्न है।
10	As per the covering letter, the pipeline is proposed along roadside but as per the KML file many of part of pipeline does not proposed along the road. it shall be clarified.	आवेदक संस्थान द्वारा लेखकर अवगत कराया गया है कि The proposed pipeline is applied under Non-ROW & CA land for the same is provided.
11	The proposed diversion area is part of elephant corridor so comments of CWLW M.P. shall be submitted.	वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा लेखकर अवगत कराया गया है कि वन मण्डल सिंगरौली की वर्तमान प्रचलित कार्य आयोजना श्री राजीव मिश्रा, भा.व.से. सत्र 2019-20 से 2028-29 के आलेख भाग-2 के पृष्ठ क्रमांक 442 के अनुसार प्रस्तावित भूमि हाथी कारीडोर में सम्मिलित नहीं है।
12	As per the KML of all four proposals (FP/MP/ WATER/151448/2022, FP/MP/WATER/151757/2022 and FP/MP/WATER/144394 /2022 and FP/MP/WATER/154848/2022) , it seems that all proposals are co related to each other why a consolidated proposal is not submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा लेखकर अवगत कराया गया है कि प्रपोजल नम्बर (FP/MP/WATER/154848/2022) is belongs to Waidhan-2 Scheme and Rest 3 Proposals are associated with Gond Devsar MVS for Garvity and Distribution Main all Pipeline and All these Proposals are Applied Zone wise.

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार राय)

भा.व.से.

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.

पृ०कमॉक/मा.चि./2024/ 5545

प्रतिलिपि-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली म०प्र० की ओर सूचनार्थ।

रीवा दिनांक 12-07.2024

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

सूचना का

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

अधिकार

क्र०/तक०/५१६७

बैठन, दिनांक 01.07.2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल

विषय:- सिंगरौली जिले में गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत आर.ओ.डब्ल्यू में पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.8057 हे० वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। Proposal No. FP/MP/WATER/151757/2022

- संदर्भ:-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1207/2022/10-11/2669 दिनांक 30.06.2023
 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB 016/2023 BHO दिनांक 28.06.2023
 2. महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित परि.कि.ई. सिंगरौली का पत्र क्रमांक/1818 दिनांक 10.07.2023

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (1) से प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 12 बिन्दुओं की जानकारी चाहा गया था।

संदर्भित पत्र (3) से आवेदक संस्थान से संबंधित बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर एवं बिन्दु क्रमांक 9 एवं 11 की जानकारी तैयार कर संलग्न सम्प्रेषित है, जो निम्नानुसार है:-

क्र०	बिन्दु	वास्तविक जानकारी
9	As per the Covering letter of proposal, the CA area proposed over 20.80 ha but CA Scheme is Only for 17 ha. Also as per DSS Analysis, the proposed CA area have 7.00 ha VDF and 7.00 ha have MDF. Thus revised CA scheme shall be submitted/uploaded.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB 016/2023 BHO दिनांक 28.06.2023, से प्रकरण में 7 हे० Very Dense Forest और 7 हे० Moderately Dense Forest होने की आपत्ती लगाई गई थी। जिसके एवज में प्राप्त गैर वन भूमि रकवा 17.00 हे० में से 03.00 हे० एवं 14.00 हे० दुगने बिगड़े वन भूमि की कुल रकवा 17.00 की संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर दी गयी है, की प्रति संलग्न है।
11	The Proposed diversion area is part of elephant corridor, so comments of CWLW M.P. shall be submitted	वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि कक्ष वन परिक्षेत्र जियावन का कक्ष क्र० RF 813, 814 एवं PF 828, 826, 827, 817, 778, 779, 781, 782, 780, 829, 824, 786 वनमण्डल में वर्तमान में प्रचलित कार्य आयोजना श्री राजीव मिश्रा भा.व.से. सत्र 2019-20 से 2028-29 के आलेख भाग-2 के पृष्ठ क्रमांक 442 के अनुसार हाथी कोरीडोर में सम्मिलित नहीं है, की प्रति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ०क्र०/तक०/ ५१६४

सिंगरौली दिनांक २६-०७-२०२५

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा म०प्र० की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परि.कि.ई. सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

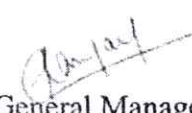
**Office of the General Manager
Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit, Jabalpur**

Regd. & Corp. Office: "D" Wing 2nd Floor, Vindhyaachal Bhawan, Bhopal-462004
(Website: www.mpjalnigam.co.in)

CIN-U41000MP2012SGC028798
E-Mail: gmmpjnmssingrauli@gmail.com

Justification for locating the project component in forest land

The project namely "Gond Deosar Multi Village Scheme" is proposed to provide drinking water to 206 villages of Singrauli district taking Gond dam on river Gopad as source. To convey water to the villages, pipelines are required to be laid which passes through forest area at some places.


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
P.I.U., Singrauli

*Counter-signed only
without going into technical
details of project.*


वन प्रखण्ड अधिकारी
वन प्रखण्ड सिंगरेली

**कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
(म.प्र. शासन का उपक्रम)**

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय : कक्ष क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, वैठन
(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

CIN-U41000MP2012SGC028798
gmmpjnmsingrauli@gmail.com)

क्रमांक 1818 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2022
प्रति,

दिनांक 10-07-23

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली (म.प्र.)

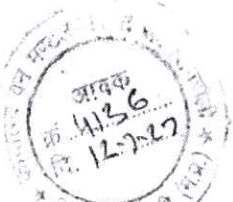
विषय:- गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चाही गई जानकारी प्रेषित करने बाबत।

- संदर्भ:-
1. प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151757/2022
 2. तकनीकी अधिकारी पत्र क्र0/06 एमपीबी/016/2022-बीएचओ दिनांक 28-06-2023.
 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), भोपाल का पत्र क्र0 2669 दिनांक 30-06-2023
 4. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1205 दिनांक 04.05.2023

--000--

विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र क्र.2 के माध्यम से तालिक में वर्णित जानकारी चाही गई थी जो निम्नानुसार है:-

S.No.	Query	Reply
1	Administrative Approval/Sanction letter of the project shall be submitted/uploaded.	Enclosed
2	Complete KML file of layout plan of Forest Area and Non Forest Area (full project KML be submitted/uploaded).	KML file depicting Forest Area and Non Forest Area uploaded in Parivesh Portal and Google Drive. (https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLJA7_mrdLpe-n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web)
3	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	Detailed Justification report Attached.
4	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, TL etc) shall be submitted.	No Objection Certificates from MPRDC is attached.
5	It is a new pipeline project, alternative alignment of with comparative statement shall be submitted.	It is already shown in Para-D of part-1 proposal, where it is clearly mentioned "NO", it means there is no alternative option is available.
6	KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded.	It is already shown in Para-D of part-1 proposal, where it is clearly mentioned "NO", it means there is no alternative option is available.
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	Total quantity of excavated material during laying of pipeline will be as follows.



		Calculation- Excavated Volume- $(48057 \times 1 \times 1.2) = 57,668.4$ cum Pipe Volume $-(3.14 \times 0.1 \times 0.1 \times 48057) = 1,508.9898$ cum Backfilled soil = 56159.4102 Remaining Muck (excavated soil - backfilled soil) = 1508.9898. Note: Excavated soil shall be backfilled and levelled. And Remaining muck (Equal to pipe volume) will be disposed off at available surplus revenue land 3.8 (20.8 - 17) ha located at village pipri, teh: chitrangi khasra no. 245 allotted to MPJNM.
8	Componenet wise breakeup of land required and component wise arean calculation with the layout plan is shall be submitted.	Component wise breakup for 4.8057 ha. of pipeline network uploaded on Parivesh portal Part-1 (Point-B) and Google Drive. (https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLJA7_mrdLpe-n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web)
9	As per covering letter of Proposal, the CA is proposed over 20.80 ha but CA scheme is only for 17.00 ha. Also as per the DSS analysis, the proposed CA Area has 7.00 ha VDF and 7.00 ha MDF. Thus Revised CA scheme shall be uploaded.	17 ha CA land is to be provided for the given proposals (Proposals- 144394 - 3.9589 ha. 151757 - 4.8057 ha. 151448 - 4.9627 ha. 154848- 2.9455 ha. Total required Area - 16.6728 ha. But total 17 ha CA land has already been provided to forest. Comment on CA Scheme & VDF/MDF will be given by DFO Singrauli.
10	As Per the Covering letter, the pipeline is proposed along roadside but as per KML file many of parts of pipeline are not along road.	The Proposed Pipeline is applied under Non-ROW & CA land for the same is provided.
11	The proposed diversion area is part of Elephant corridor, So comments of CWLW M.P. shall be submitted.	Comment to be given by DFO Singrauli
12	As Per the KML of all four proposals (FP/MP/WATER/151448/2022, FP/MP/WATER/151757/2022 & FP/MP/WATER/144394/2021, FP/MP/WATER/154848/2022), it seems that all proposals are co-related to each other. Why a Consolidated proposal is not submitted.	Proposal No. (FP/MP/WATER/154848/2022) is belongs to Waidhan-2 Scheme and Rest 3 Proposals are associated with Gond Devsar MVS for Garvity and Distribution Main Pipeline and All these Proposals are Applied Zone wise.

जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

[Signature]
महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली
दिनांक

पृ. क्रमांक /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. ओ.एस.डी., म.प्र. जल निगम मर्यादित भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 22 SEP 2020

क्रमांक एफ 16-21/2020/2/34/(2051)

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित
विश्वयावल भवन, भोपाल।

विषय - मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ - प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल का पत्र क्रमांक 6942 दिनांक 29.08.2020।

-0-

राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जानेवाली निम्नानुसार 10 समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र.	समूह जलप्रदाय योजना का नाम	जिला	लागत (रु. करोड़ में)
1	राजौद	धार	109.50
2	मडिया	सागर	336.02
3	आगर मालवा	आगर	557.35
4	मडीखेड़ा	शिवपुरी	1096.96
5	गोपीकृष्ण सागर	गुना	461.98
6	राजघाट	गुना एवं अशोकनगर	1942.90
7	नेमावर (हाटपिलिया)	देवास	237.00
8	गौड देवसर	सिंगरीली	470.49
9	वैद्वन-1	सिंगरीली	637.27
10	वैद्वन-2	सिंगरीली	261.53
योग			6111.00

2/ योजनाओं का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन के मापदण्डों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाये, विस्तृत सर्वेक्षण उपरांत डिजाईन/ड्राईंग तैयार कर करायी जाये तथा योजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत राशि तक सीमित रखा जाये।

3/ यह आदेश मंत्रि-परिषद निर्णय के आइटम क्रमांक-18 दिनांक 15, सितम्बर 2020 के संदर्भ में जारी किया गया है।

4/ दिनांक 03.09.2020 को संपन्न परियोजना परीक्षण समिति की बैठक, तथा दिनांक 18.09.2020 को संपन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक, में उपरोक्त योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। बैठकों के कार्यवाही विवरण (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश शाक्यवार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadi
Project Implementation Unit
Shivrauli (M.P.)

DM (T)

पृ. क्रमांक एक 16-23/2020/2/34/2967

भोपाल, दिनांक 22 SEP 2020

प्रतिभाग -

1. निरं सचिव, मानवीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
5. सलाहकार, राज्य योजना आयोग, भोपाल।
6. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंजाब।
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
8. सहाय आयुक्त, सहाय।
9. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल।
10. कलेक्टर, जिला।
11. परियोजना निदेशक, मध्यप्रदेश जल निगम मुख्यालय, विद्यालय भवन, भोपाल।
12. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,।
13. कोषालय अधिकारी, जिला।


मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

Justification Letter for Laying of Clear Water Distribution main under Deosar Block Gond Deosar Multi Village Scheme (Distt. - Singrauli)

Project Name:- Gond Deosar Multi Village Scheme, Distt.- Singrauli.

Project Cast:- INR 360.25 Crores.

Area Served:- 213 Village of Singrauli District and Tapping at Deosar urban under Madhya pradesh.

Project Scope:- Gond Deosar Multi Village Scheme Project was sanctioned under Jal Jeevan Mission to provide water to All House hold of Village of Singrauli District. The implementing Agency for the project is MP Jal Nigam Limited. After successful completion of the Gond Deosar multi village Scheme 213 village of Block Deosar and sarai of Singrauli District will receive potable drinking water in their homes through a functional tap. The project scope is as follows:-

S No.	Description	UOM	Singrauli District
1	Intake Well cum pump house	MLD	47.27
2	Raw water pumping main	KM	6.408
3	Clear water pumping main	KM	89.425
4	Water treatment plant	MLD	37.95
5	Clear water pipe line / CWGM	KM	455.316
6	Master Balancing Reservoir	Nos.	1
7	Intermediate pumping Station	Nos.	6
8	Over Head Tank / Ground Service Reservoir	Nos.	89
9	Distribution Pipe Line	KM	3250
10	House Service Connection	Nos.	64790

The project scope consists of construction of Intake well, water treatment plant, over head tank and master balancing reservoir at various location across Singrauli district to provide water to the villages habitations. These tanks would be connected with pipe line to transfer and distribute the potable and raw water after topographical survey of pipe line alignment of the entire Singrauli district piping routes. It is found that the some pine line area of deosar and sarai block under forest area. As per Design requirements and topographical compulsions these clear water pipe line are to be laid on these locations, situated in the forest area.

Pandey
General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

M.P. PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Govt. of M.P. Undertaking)

OFFICE OF THE DIVISIONAL MANAGER MPRDC DivSidhi

Near MPEB Colony WARD No. 8, DistSidhi (M.P.) Pin No. 486661

E-mail - dm-rewa2@mp.gov.in

MPRDC

Letter No. 2143 /MPRDC/APMS3226/2022

Sidhi, Date:- 11/11/2022

To,

✓ General Manager,
M.P. Jal Nigam Maryadit,
PIU Singrauli (M.P.)

Sub:- Regarding permission for laying pipeline along MP-MDR-12-06 (Jhurai - Sarai road) for Distribution Pipe on LHS from Ch.1+100 to Ch.2+228, Ch.3+600 to Ch.4+963, Ch.4+963 to Ch.6+571, Ch.12+000 to Ch.13+178, Ch.30+117 to Ch.31+440 and on RHS from Ch.3+600 to Ch.5+079, Ch.9+000 to Ch.10+920, Ch.12+438 to Ch.13+800, Ch.16+494 to Ch.18+379, Ch.19+150 to Ch.20+500, Ch.27+900 to Ch.30+116 and for Gravity Main on RHS from Ch.0+000 to Ch.31+440 alongwith 03 road crossings at Ch.1+100, Ch.12+000 and Ch.30+116.

Ref:- 1. Chief General Manager (Admin.), MPRDC Bhopal letter no. 10733/292/OTH/APMS2022/3226/MPRDC/2022, Dated- 16.09.2022.
2. APMS Application No. APMS2022/3226, dated 15.02.2022.

With reference to the letter & subject cited above, proposal submitted for Grant of permission to lay water pipeline along MP-MDR-12-06 (Jhurai - Sarai road) for Distribution Pipe on LHS from Ch.1+100 to Ch.2+228, Ch.3+600 to Ch.4+963, Ch.4+963 to Ch.6+571, Ch.12+000 to Ch.13+178, Ch.30+117 to Ch.31+440 and on RHS from Ch.3+600 to Ch.5+079, Ch.9+000 to Ch.10+920, Ch.12+438 to Ch.13+800, Ch.16+494 to Ch.18+379, Ch.19+150 to Ch.20+500, Ch.27+900 to Ch.30+116 and for Gravity Main on RHS from Ch.0+000 to Ch.31+440 alongwith 03 road crossings at Ch.1+100, Ch.12+000 and Ch.30+116 is approved in-principle with following conditions:-

1. Submission of X-Section at each crossing for crossing the road by HDD method showing depth of ground level and drilling level below road top level.
2. The execution of work will be done as per MoRT&H guidelines and to the satisfaction of this office (Divisional Manager, MPRDC).
3. The work shall be carried strictly in accordance with the provisions of the estimate & approved drawing.
4. Strict adherence to the safety requirements of IRC: SP-55 "Guidelines on Safety in road construction Zone" shall be ensured.
5. The execution of work will be done in accordance with the specification of Concession agreement and no diversion will be constructed.
6. You have to maintain the traffic for smooth movement.
7. The laying of Underground pipeline shall be strictly as per the MORTH Circular dated 22.11.2016 and as per the details indicated in the approved drawing. No change in the approved alignment of Underground pipeline will be entertained. Any deviation will result in automatic cancellation of the permission/approval.
8. All safety measures will be followed by you (GM, M.P. Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli).

General Manager

M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

Contd...2

Passy
General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit



Manager
for of a
la.



MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Govt. of M.P. Undertaking)

OFFICE OF THE DIVISIONAL MANAGER MPRDC DivSidhi

Near MPEB Colony WARD No. 8, DistSidhi (M.P.) Pin No. 486661

E-mail - dm-rewa2@mp.gov.in

9. It shall be ensured that no cross drainage Structure/Bridge shall be used to convey Underground water supply/Sewerage pipeline. Further, under no circumstances, the pipe line shall be allowed beneath existing carriageway except for road crossing permitted and no digging is permitted within carriageway.
10. All construction work shall be done under supervision of this office (Divisional Manager, MPRDC). This office will issue a completion certificate after completion of the work to the satisfaction of MPRDC.
11. You have to submit "As built drawing after the completion work, within 30 days from date of actual completion of work at site.
12. You will bear all costs related to construction, maintenance and other ancillary expenditure.
13. The road section to be made after completion of work should be in accordance to drawing and to the satisfaction of Divisional Manager, MPRDC. Work is to be carried out between sunrise and sunset.
14. As per IRC 98-2011 sewer lines or water supply lines should be laid at edge of ROW
15. The Guidelines mentioned in the IRC: 98-2011 should be strictly adhered during execution.
16. You will shift the pipeline within given time period from the date of issue of the notice by the MPRDC to shift / relocate the pipeline, in case it is so required for the purpose of improvement/ widening of the road/ route/ highway or construction of flyover/ bridge and restore the road/ land to its original condition at his own cost and risk.
17. Under no circumstances, the already laid Underground Utility (if any) shall be harmed or interrupted due to laying of proposed pipeline. In case, if any damage is caused to any previously laid utility service/s. then you will indemnify MPRDC against any such claim of concerned Agency.
18. The permission shall stand withdrawn automatically in the event of breach of any of the above mentioned conditions are not followed at site.

The Bank Guarantee submitted by you is valid up to 31.03.2023. Please make it sure that if the work is not completed within Bank Guarantee Validity period or stipulated time as per terms of Agreement and this letter, this office may be, informed one month in advance, so that necessary action may be initiated. You may be allowed to undertake the remaining work only after receiving permission from this office as well as the extension of Bank Guarantee.

Encl:-Agreement copy.

Divisional Manager
MPRDC Div. Sidhi (M.P.)

Encl. No. /MPRDC/APMS3224/2022

Sidhi, Date:- / / 2022

Copy to:-

1. The Chief General Manager (Admin.), MPRDC Bhopal for kind information Please.

Divisional Manager
MPRDC Div. Sidhi (M.P.)

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)



CIN : U45203MP2004SGC016758

M.P. Road Development Corporation Ltd.

(M.P. State Highway Authority)

(Govt. of M.P. Undertaking)

45-A, Arera Hills, Bhopal-462011

☎ : 0755-2597290 / 2765205 Fax : 0755-2572643, Website : mprdc.gov.in

No. 10737/292/OTII/APMS2022/3225/MPRDC/2022
Bhopal dated 16/09/2022

To,
Divisional Manager,
MP Road Development Cor. Ltd.,
Siddhi.

Sub: Regarding permission for laying pipeline along MP-MDR-12-13 (Mahua - Chuwahi road) for Distribution Main on LHS from Ch.0+000 to Ch.1+251, Ch.2+275 to Ch.3+294, Ch.3+569 to Ch.6+536, Ch.8+420 to Ch.9+648 and on RHS from Ch.0+000 to Ch.0+0275, Ch.6+000 to Ch.6+536 and for Gravity Main on RHS from Ch.0+000 to Ch.5+293 and Ch.7+234 to Ch.8+418 alongwith 02 road crossings at Ch.4+628 and Ch.7+234.

Ref: APMS Application No.APMS2022/3225, dated 15.02.2022.

In reference to the above mentioned subject in principle approval is hereby accorded and you are hereby authorized to issue the permission to General Manager, MP Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli, regarding permission for laying pipeline along MP-MDR-12-13 (Mahua - Chuwahi road) for Distribution Main on LHS from Ch.0+000 to Ch.1+251, Ch.2+275 to Ch.3+294, Ch.3+569 to Ch.6+536, Ch.8+420 to Ch.9+648 and on RHS from Ch.0+000 to Ch.0+0275, Ch.6+000 to Ch.6+536 and for Gravity Main on RHS from Ch.0+000 to Ch.5+293 and Ch.7+234 to Ch.8+418 alongwith 02 road crossings at Ch.4+628 and Ch.7+234, subject to the fulfillment of following conditions:-

1. Submission of X-Section at each crossing for crossing the road by HDD method showing depth of ground level and drilling level below road top level.
2. The execution of work will be done as per MoRT&H guidelines and to the satisfaction of Divisional Manager, MPRDC.
3. The work shall be carried strictly in accordance with the provisions of the estimate.
4. Strict adherence to the safety requirements of IRC: SP-55 "Guidelines on Safety in road construction Zone" shall be ensured.
5. The execution of work will be done in accordance with the specification of Concession agreement and no diversion will be constructed.
6. General Manager, MP Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli, shall maintain the traffic for smooth movement.
7. The laying of Underground pipeline shall be strictly as per the MORTH Circular dated 22.11.2016 and as per the details indicated in the approved drawing. No change in the approved alignment of Underground pipeline will be entertained. Any deviation will result in automatic cancellation of the permission/approval.
8. It shall be ensured that no cross drainage Structure/Bridge shall be used to convey underground water supply/Sewerage pipeline. Further, under no circumstances, the pipe line shall be allowed beneath existing carriageway except for road crossing permitted and no digging is permitted within carriageway.
9. All safety measures will be followed by General Manager, MP Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli.
10. All construction work shall be done under supervision of Divisional Manager, MPRDC. Divisional Manager will issue a completion certificate after completion of the work to the satisfaction of MPRDC.

Contd....2

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

11. General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli, shall get the approval of drawings and specification from Divisional Manager MPRDC for execution and should submit "As built drawing" after the completion work, within 30 days from date of actual completion of work at site.
12. General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli, shall bear all costs related to construction, maintenance and other ancillary expenditure.
13. The road section to be made after completion of work should be in accordance to drawing and to the satisfaction of Divisional Manager, MPRDC. Work is to be carried out between sunrise and sunset.
14. As per IRC 98-2011 sewer lines or water supply lines should be laid at edge of ROW.
15. The Guidelines mentioned in the IRC: 98-2011 should be strictly adhered during execution.
16. General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli, shall shift the pipeline within given time period from the date of issue of the notice by the MPRDC to shift/ relocate the pipeline, in case it is so required for the purpose of improvement/ widening of the road/ route/ highway or construction of flyover/ bridge and restore the road/ land to its original condition at his own cost and risk.
17. Under no circumstances, the already laid Underground Utility (if any) shall be harmed or interrupted due to laying of proposed pipeline. In case, if any damage is caused to any previously laid utility services, then the General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli will indemnify MPRDC against any such claim of concerned Agency.
18. You are also required to execute the Agreement as per MORT&H circular dated 22.11.2016 before allowing the Applicant to start the work.
19. The permission shall stand withdrawn automatically in the event of breach of any of the above mentioned conditions are not followed at site.

The Bank Guarantee submitted by General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli is valid up to 03.06.2023. Please make it sure that if the work is not completed within Bank Guarantee Validity period or stipulated time as per terms of Agreement and this letter, this office may be, informed one month in advance, so that necessary action may be initiated. The applicant may be allowed to undertake the remaining work only after receiving permission from this office as well as the extension of Bank Guarantee. Please also ensure before signing agreement that all fee & Charges as per new guide lines are received & B.G. submitted by the General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli.

(Pradeep Jain)

Chief General Manager (Admin)
MPRDC, Bhopal

Enclt No. 14739/292/OTI/APMS2022/3225/MPRDC/2022

Bhopal, Dated 16/09/2022

Copy forwarded to-

1. P&A Managing Director, MPRDC, Bhopal for information please.
2. General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli- for information.

Chief General Manager (Admin)
MPRDC, Bhopal

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)



MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Govt. of M.P. Undertaking)

OFFICE OF THE DIVISIONAL MANAGER MPRDC DivSidhi

Near MPEB Colony WARD No. 8, DistSidhi (M.P.) Pin No. 486661

E-mail - dm-rewa2@mp.gov.in

Letter No. 2145/MPRDC/APMS3225/2022

Sidhi, Date:- 11/11/2022

To,

✓ General Manager,
M.P. Jal Nigam Maryadi,
PIU Singrauli (M.P.)

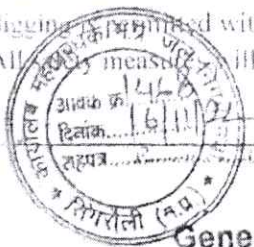
Sub:- Regarding permission for laying pipeline along MP-MDR-12-13 (Mahua-Chuwahi road) for Distribution Main on LHS from Ch.0+000 to Ch.1+251, Ch.2+275 to Ch.3+294, Ch.3+569 to Ch.6+536, Ch.8+420 to Ch.9+648 and on RHS from Ch.0+000 to Ch.0+0275, Ch.6+000 to Ch.6+536 and for Gravity Main on RHS from Ch.0+000 to Ch.5+293 and Ch.7+234 to Ch.8+418 alongwith 02 road crossings at Ch.4+628 and Ch.7+234.

Ref:- 1. Chief General Manager (Admin.), MPRDC Bhopal letter no. 10737/292/OTH/APMS2022/3225/MPRDC/2022, Dated- 16.09.2022.
2. APMS Application No. APMS2022/3225, dated 15.02.2022.

With reference to the letter & subject cited above, proposal submitted for Grant of permission to lay water pipeline along MP-MDR-12-13 (Mahua Chuwahi road) for Distribution Main on LHS from Ch.0+000 to Ch.1+251, Ch.2+275 to Ch.3+294, Ch.3+569 to Ch.6+536, Ch.8+420 to Ch.9+648 and on RHS from Ch.0+000 to Ch.0+0275, Ch.6+000 to Ch.6+536 and for Gravity Main on RHS from Ch.0+000 to Ch.5+293 and Ch.7+234 to Ch.8+418 alongwith 02 road crossings at Ch.4+628 and Ch.7+234 is approved in-principle with following conditions:-

1. Submission of X-Section at each crossing for crossing the road by HDD method showing depth of ground level and drilling level below road top level.
2. The execution of work will be done as per MoRT&H guidelines and to the satisfaction of this office (Divisional Manager, MPRDC).
3. The work shall be carried strictly in accordance with the provisions of the estimate & approved drawing.
4. Strict adherence to the safety requirements of IRC: SP-55 "Guidelines on Safety in road construction Zone" shall be ensured.
5. The execution of work will be done in accordance with the specification of Concession agreement and no diversion will be constructed.
6. You have to maintain the traffic for smooth movement.
7. The laying of Underground pipeline shall be strictly as per the MORTH Circular dated 22.11.2016 and as per the details indicated in the approved drawing. No change in the approved alignment of Underground pipeline will be entertained. Any deviation will result in automatic cancellation of the permission/approval.
8. It shall be ensured that no cross drainage Structure/Bridge shall be used to convey Underground water supply/Sewerage pipeline. Further, under no circumstances, the pipe line shall be allowed beneath existing carriageway except for road crossing permitted and no digging shall be permitted within carriageway.
9. All safety measures will be followed by you (GM, M.P. Jal Nigam Maryadi, PIU Singrauli).

Contd...2



General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadi
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadi
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)



M.P. Road Development Corporation Ltd.

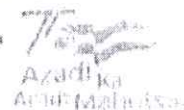
(M.P. State Highway Authority)

(Govt. of M.P. Undertaking)

45-A, Arera Hills, Bhopal-462011

☎ : 0755-2597290 / 2765205 Fax : 0755-2572643, Website : mprdc.gov.in

CIN : U45203MP2004SGC016758



No. 13/71/APMS2022/3427/MPRDC/PP/2022
Bhopal, dated 04/11/2022

To,

Divisional Manager,
M.P. Road Development Cor. Ltd.,
Sidhi

Subj:- Permission for constructions & use of approaches/access road for Proposed Retail Outlet on MP-MDR-11-13 (Mahau to Chuwahil road), Ch. 30.080, LHS, KH No. 292/I, Village Rampur, Tehsil Majhoul, Distt. Sidhi. (LOI Holders- Shri Ashwini Kumar Tiwari, Shri Ramlakhan Tiwari and Ku. Pooja Tiwari). "Regarding Demand Note for License Fees".

Ref: 1. Application No. APMS2022/3427, dated 26.07.2022
2. M/s HPCL LOI letter No. JRI/DS/LOI/LOC NO- 392, dated 17.03.2022.

This is in reference to your letter cited above, the Retail Outlet mentioned in subject is approved herewith in-principle and Provisional NOC is granted, subject to the fulfillment of the following conditions: -

1. Pavements of access road including acceleration & deceleration lanes should have 5.50 width and minimum pavement composition of 150 mm thick Granular Sub Base (GSB) overlaid by three layers of Water Bound Macadam (WBM) (other than WBM-Grading No.1), each of 75 mm thickness topped by 50 mm thick Bituminous Macadam (BM) and 25 mm thick Semi Dense Bituminous Carpet (SDBC). Interlocking Concrete Blocks as per IRC: SP:63-2004 can also be considered.
2. All pavement markings should be as per IRC:35-2015.
3. All traffic signs should be as per IRC:67-2012 and IRC:SP-55-2014. In case of a fuel station located on the other side of travel direction, the user should be informed of the location of the fuel station in his/her direction of travel through information sign.
4. All length of Separator Island should be determined as per site condition. Its minimum width should be 3 Metre. The separator island and buffer strip shall be turfed with provision of minimum 275 MM high kerbs.
5. While planning the layout for various facilities inside the fuel station it is to be ensured that the fuel pumps are located minimum at 40 m from the center line of the road.

Contd...2

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)



MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Govt. of M.P. Undertaking)

OFFICE OF THE DIVISIONAL MANAGER MPRDC DivSidhi

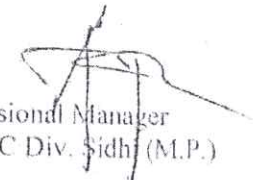
Near MPEB Colony WARD No. 8, DistSidhi (M.P.) Pin No. 486661

E-mail - dm-rewa2@mp.gov.in

10. All construction work shall be done under supervision of this office (Divisional Manager, MPRDC). This office will issue a completion certificate after completion of the work to the satisfaction of MPRDC.
11. You have to submit "As built drawing after the completion work, within 30 days from date of actual completion of work at site.
12. You will bear all costs related to construction, maintenance and other ancillary expenditure.
13. The road section to be made after completion of work should be in accordance to drawing and to the satisfaction of Divisional Manager, MPRDC. Work is to be carried out between sunrise and sunset.
14. As per IRC 98-2011 sewer lines or water supply lines should be laid at edge of ROW
15. The Guidelines mentioned in the IRC: 98-2011 should be strictly adhered during execution.
16. You will shift the pipeline within given time period from the date of issue of the notice by the MPRDC to shift / relocate the pipeline, in case it is so required for the purpose of improvement/ widening of the road/ route/ highway or construction of flyover/ bridge and restore the road/ land to its original condition at his own cost and risk.
17. Under no circumstances, the already laid Underground Utility (if any) shall be harmed or interrupted due to laying of proposed pipeline. In case, if any damage is caused to any previously laid utility service/s. then you will indemnify MPRDC against any such claim of concerned Agency.
18. The permission shall stand withdrawn automatically in the event of breach of any of the above mentioned conditions are not followed at site.

The Bank Guarantee submitted by you is valid up to 31.03.2023. Please make it sure that if the work is not completed within Bank Guarantee Validity period or stipulated time as per terms of Agreement and this letter, this office may be, informed one month in advance, so that necessary action may be initiated. You may be allowed to undertake the remaining work only after receiving permission from this office as well as the extension of Bank Guarantee.

Encl:-Agreement copy.

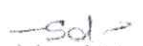

Divisional Manager
MPRDC Div. Sidhi (M.P.)

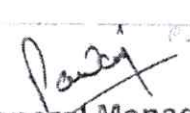
Endt. No. /MPRDC/APMS3224/2022

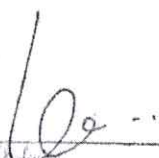
Sidhi, Date:- / 11 / 2022

Copy to:-

1. The Chief General Manager (Admin.), MPRDC Bhopal for kind information Please.


Divisional Manager
MPRDC Div. Sidhi (M.P.)

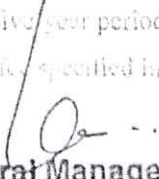

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

6. The provision of drinking water and toilet facilities at all fuel stations should be according to the approved drawings and specifications and to the full satisfaction of the Highway Administration. The drinking water and toilet facilities shall be accessible to the public, round the clock. In order to inform the public about these, a retro reflective display board showing availability of such facilities shall be installed before the entry to the fuel Stations.
7. Slab Culverts with gratings to be provided in the line of storm water drain on entry and exit approaches to cater to the expected discharge. The working drawing with hydraulic design shall be submitted to Divisional Manager, MPRDC for approval prior to the construction.
8. It has to be ensured that there shall be adequate drainage system on the access to the fuel station and inside its area so that surface water does not flow over the highway and no water logging takes place. For this purpose, the fuel station and access area would be at least 300 mm. below the level at the edge of the shoulder on the highway. The surface water from fuel station and access road would need to be collected in a suitable underground drainage system and led away to a natural course through culvert.
9. It has to be ensured that there shall be the provision of minimum 2.0 mtr span culvert with iron grating required as per IRC-SP:13-2004 in approaches at building lines.
10. Check the Stability of the abutment walls of the culvert before the execution and submit the details with "as built drawing"
11. The applicant will submit Land Diversion certificate before signing the agreement.
12. If any trees are falling in between proposed service road or Acceleration/Deceleration lane or if any trees are required to be cut for the construction of subjected RO, then the applicant shall seek the permission regarding the same from the concerned department. Divisional Manager, MPRDC shall ensure the re-plantation of the trees as per the applicable rules and shall issue the completion certificate once he/she has inspected the trees planted.
13. Initially the license deed is for a five year period. On the expiry of the lease license it has to be renewed on payment of fee specified in the licensee deed

Contd...3


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

The Oil Company/Owner may construct the Fuel Station along with its access as per approved drawings at their own cost within 6 months of the issue of this Provisional NOC. After the construction as per approved drawings and to the satisfaction of the Highway Authority, the final approval may be given within 30 days of the receipt of communication along with the "As Built Drawing" from the applicant about the completion of construction work. License deed may be signed by the Divisional Manager, MPRDC. In case, the construction is not done in one year, the provisional approval shall be deemed to be cancelled, unless renewed by the Highway Authority.

Inspections for determining the deviations from prescribed Norms can be done at any time, even after signing of the License Deed, by the Highway Administration. In case of defaults/deviations found during inspections by Highway Authority, such deficiency shall have to be immediately rectified, which in no case should exceed 30 days from the date of inspection. The failure to rectify the identified deficiencies within the prescribed time would lead to de-energizing the fuel station by the concerned Oil Company. The re-energizing would be done only after rectification and on the authorization by the Highway Authority.

In case of non-compliance of any of the conditions mentioned in this letter, this provisional approval shall be deemed to be cancelled.

(This letter shall be a part of agreement)

Encls:-Nil

Encl. No. 15172
...../APMS2022/3427/MPRDC/PP/2022

JA
4/11/22

(Pradeep Jain)

Chief General Manager (Admin.)
MPRDC, Bhopal
Bhopal, Dated 04/11/2022

1. P.A. to Managing Director, MPRDC, Bhopal for information please.
2. Shri. Praveen Kumar, Deputy General Manager-Retail, M/s Hindustan Petroleum Cor. Ltd., Jabalpur for information and necessary action.

JA
4/11/22

Chief General Manager (Admin.)
MPRDC, Bhopal

Pradeep Jain
General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

Pradeep Jain
General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)



MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Govt. of M.P. Undertaking)

OFFICE OF THE DIVISIONAL MANAGER MPRDC DivSidhi

Near MPEB Colony WARD No. 8, DistSidhi (M.P.) Pin No. 486661

E-mail - dm-rewa2@mp.gov.in

Letter No. 2147/MPRDC/APMS3224/2022

Sidhi, Date:- // / 11 / 2022

To,

✓ General Manager,
M.P. Jal Nigam Maryadit,
PIU Singrauli (M.P.)

Sub:- Regarding permission for laying pipeline along MP-MDR-12-12 (Parsauna-Mahua via Barka Road) on LHS from Ch.39+930 to Ch.41+000, Ch.43+000 to Ch.44+180, Ch.44+940 to Ch.46+260, Ch.50+920 to Ch.52+270, Ch.53+000 to Ch.53+990, Ch.57+550 to Ch.60+130, Ch.64+000 to Ch.64+556, Ch.65+000 to Ch.67+310 and on RHS from Ch.36+590 to Ch.38+830, Ch.40+000 to Ch.42+820, Ch.44+180 to Ch.44+940, Ch.48+000 to Ch.50+383, Ch.50+920 to Ch.54+588, Ch.65+530 to Ch.54+588, Ch.65+530 to Ch.67+770, Ch.75+000 to Ch.78+000 and Ch.80+000 to Ch.82+410 alongwith 03 road crossings at Ch.58+200, Ch.64+556 and Ch.70+030.

Ref:- 1. Chief General Manager (Admin.), MPRDC Bhopal letter no. 10735/291/OTH/APMS2022/3224/MPRDC/2022, Dated- 16.09.2022.
2. APMS Application No. APMS2022/3224, dated 15.02.2022.

-----*****-----
With reference to the letter & subject cited above, proposal submitted for Grant of permission to lay water pipeline along MP-MDR-12-12 (Parsauna-Mahua via Barka) on LHS from Ch.39+930 to Ch.41+000, Ch.43+000 to Ch.44+180, Ch.44+940 to Ch.46+260, Ch.50+920 to Ch.52+270, Ch.53+000 to Ch.53+990, Ch.57+550 to Ch.60+130, Ch.64+000 to Ch.64+556, Ch.65+000 to Ch.67+310 and on RHS from Ch.36+590 to Ch.38+830, Ch.40+000 to Ch.42+820, Ch.44+180 to Ch.44+940, Ch.48+000 to Ch.50+383, Ch.50+920 to Ch.54+588, Ch.65+530 to Ch.54+588, Ch.65+530 to Ch.67+770, Ch.75+000 to Ch.78+000 and Ch.80+000 to Ch.82+410 alongwith 03 road crossings at Ch.58+200, Ch.64+556 and Ch.70+030 is approved in-principle with following conditions:-

1. Submission of X-Section at each crossing for crossing the road by HDD method showing depth of ground level and drilling level below road top level.
2. The execution of work will be done as per MoRT&H guidelines and to the satisfaction of this office (Divisional Manager, MPRDC).
3. The work shall be carried strictly in accordance with the provisions of the estimate & approved drawing.
4. Strict adherence to the safety requirements of IRC: SP-55 "Guidelines on Safety in road construction Zone" shall be ensured.
5. The execution of work will be done in accordance with the specification of Concession agreement and no diversion will be constructed.
6. You have to maintain the traffic for smooth movement
7. The laying of Underground pipeline shall be strictly as per the MORTH Circular dated 22.11.2016 and as per the details indicated in the approved drawing. No change in the approved alignment of Underground pipeline will be entertained. Any deviation will result in automatic cancellation of the permission/approval.

8. All the above conditions will be followed by you (GM, M.P. Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli).



General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)



MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Govt. of M.P. Undertaking)

OFFICE OF THE DIVISIONAL MANAGER MPRDC DivSidhi

Near MPEB Colony WARD No. 8, DistSidhi (M.P.) Pin No. 486661

E-mail - dm-rewa2@mp.gov.in

9. It shall be ensured that no cross drainage Structure/Bridge shall be used to convey Underground water supply/Sewerage pipeline. Further, under no circumstances, the pipe line shall be allowed beneath existing carriageway except for road crossing permitted and no digging is permitted within carriageway.
10. All construction work shall be done under supervision of this office (Divisional Manager, MPRDC). This office will issue a completion certificate after completion of the work to the satisfaction of MPRDC.
11. You have to submit "As built drawing after the completion work, within 30 days from date of actual completion of work at site.
12. You will bear all costs related to construction, maintenance and other ancillary expenditure.
13. The road section to be made after completion of work should be in accordance to drawing and to the satisfaction of Divisional Manager, MPRDC. Work is to be carried out between sunrise and sunset.
14. As per IRC 98-2011 sewer lines or water supply lines should be laid at edge of ROW
15. The Guidelines mentioned in the IRC: 98-2011 should be strictly adhered during execution.
16. You will shift the pipeline within given time period from the date of issue of the notice by the MPRDC to shift / relocate the pipeline, in case it is so required for the purpose of improvement/ widening of the road/ route/ highway or construction of flyover/ bridge and restore the road/ land to its original condition at his own cost and risk.
17. Under no circumstances, the already laid Underground Utility (if any) shall be harmed or interrupted due to laying of proposed pipeline. In case, if any damage is caused to any previously laid utility service/s. then you will indemnify MPRDC against any such claim of concerned Agency.
18. The permission shall stand withdrawn automatically in the event of breach of any of the above mentioned conditions are not followed at site.

The Bank Guarantee submitted by you is valid up to 31.03.2023. Please make it sure that if the work is not completed within Bank Guarantee Validity period or stipulated time as per terms of Agreement and this letter, this office may be, informed one month in advance, so that necessary action may be initiated. You may be allowed to undertake the remaining work only after receiving permission from this office as well as the extension of Bank Guarantee.

Encl:-Agreement copy.

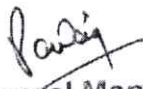
Divisional Manager
MPRDC Div. Sidhi (M.P.)

Encl. No. /MPRDC/APMS3224/2022

Sidhi, Date:- / / 2022

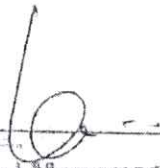
Copy to:-

1. The Chief General Manager (Admin.), MPRDC Bhopal for kind information Please.


General Manager

M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

-sd-
Divisional Manager
MPRDC Div. Sidhi (M.P.)


General Manager

M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)



CIN : U45203MP2004SGC016758

M.P. Road Development Corporation Ltd.

(M.P. State Highway Authority)

(Govt. of M.P. Undertaking)

45-A, Arera Hills, Bhopal-462011

☎ : 0755-2597290 / 2765205 Fax : 0755-2572643, Website : mprdc.gov.in

No. 16735/291/OTH/APMS2022/3224/MPRDC/2022
Bhopal dated 16/09/2022

To,

Divisional Manager,
M.P. Road Development Cor. Ltd.,
Sidhi.

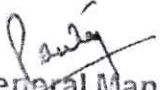
Sub: Regarding permission for laying pipeline along Parsona - Mahua via Barka road on LHS from Ch.39+930 to Ch.41+000, Ch.43+000 to Ch.44+180, Ch.44+940 to Ch.46+260, Ch.50+920 to Ch.52+270, Ch.53+000 to Ch.53+990, Ch.57+550 to Ch.60+130, Ch.64+000 to Ch.64+556, Ch.65+000 to Ch.67+310 and on RHS from Ch.36+590 to Ch.38+830, Ch.40+000 to Ch.42+820, Ch.44+180 to Ch.44+940, Ch.48+000 to Ch.50+383, Ch.50+920 to Ch.54+588, Ch.65+530 to Ch.67+770, Ch.75+000 to Ch.78+000 and Ch.80+000 to Ch.82+410 alongwith 03 road crossings at Ch.58+200, Ch.64+556 and Ch.70+030.

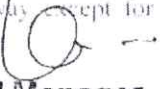
Ref: APMS Application No.APMS2022/3224, dated 15.02.2022.

In reference to the above mentioned subject in principle approval is hereby accorded and you are hereby authorized to issue the permission to General Manager, M.P. Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli, regarding permission for laying pipeline along Parsona - Mahua via Barka road on LHS from Ch.39+930 to Ch.41+000, Ch.43+000 to Ch.44+180, Ch.44+940 to Ch.46+260, Ch.50+920 to Ch.52+270, Ch.53+000 to Ch.53+990, Ch.57+550 to Ch.60+130, Ch.64+000 to Ch.64+556, Ch.65+000 to Ch.67+310 and on RHS from Ch.36+590 to Ch.38+830, Ch.40+000 to Ch.42+820, Ch.44+180 to Ch.44+940, Ch.48+000 to Ch.50+383, Ch.50+920 to Ch.54+588, Ch.65+530 to Ch.67+770, Ch.75+000 to Ch.78+000 and Ch.80+000 to Ch.82+410 alongwith 03 road crossings at Ch.58+200, Ch.64+556 and Ch.70+030, subject to the fulfillment of following conditions:-

1. Submission of X-Section at each crossing for crossing the road by HDD method showing depth of ground level and drilling level below road top level.
2. The execution of work will be done as per MoRT&H guidelines and to the satisfaction of Divisional Manager, MPRDC.
3. The work shall be carried strictly in accordance with the provisions of the estimate.
4. Strict adherence to the safety requirements of IRC: SP-55 "Guidelines on Safety in road construction Zone" shall be ensured.
5. The execution of work will be done in accordance with the specification of Concession agreement and no diversion will be constructed.
6. General Manager, M.P. Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli, shall maintain the traffic for smooth movement.
7. The laying of Underground pipeline shall be strictly as per the MORTH Circular dated 11.11.2016 and as per the details indicated in the approved drawing. No change in the approved alignment of Underground pipeline will be entertained. Any deviation will result in automatic cancellation of the permission approval.
8. It shall be ensured that no cross drainage Structure/Bridge shall be used to convey Underground water supply Sewerage pipeline. Further, under no circumstances, the pipe line shall be allowed beneath existing carriageway except for road crossing permitted and no trench is permitted within carriageway.

Contd....2


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

9. All safety measures will be followed by General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli
10. All construction work shall be done under supervision of Divisional Manager, MPRDC. Divisional Manager will issue a completion certificate after completion of the work to the satisfaction of MPRDC.
11. General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli, shall get the approval of drawings and specification from Divisional Manager MPRDC for execution and should submit "As built drawing" after the completion work, within 30 days from date of actual completion of work at site.
12. General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli, shall bear all costs related to construction, maintenance and other ancillary expenditure.
13. The road section to be made after completion of work should be in accordance to drawing and to the satisfaction of Divisional Manager, MPRDC. Work is to be carried out between sunrise and sunset.
14. As per IRC 98-2011 sewer lines or water supply lines should be laid at edge of ROW.
15. The Guidelines mentioned in the IRC: 98-2011 should be strictly adhered during execution.
16. General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli, shall shift the pipeline within given time period from the date of issue of the notice by the MPRDC to shift/relocate the pipeline, in case it is so required for the purpose of improvement/ widening of the road/ route/ highway or construction of flyover/ bridge and restore the road/ land to its original condition at his own cost and risk.
17. Under no circumstances, the already laid Underground Utility (if any) shall be harmed or interrupted due to laying of proposed pipeline. In case, if any damage is caused to any previously laid utility service/s, then the General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli will indemnify MPRDC against any such claim of concerned Agency.
18. You are also required to execute the Agreement as per MORT&H circular dated 22.11.2016 before allowing the Applicant to start the work.
19. The permission shall stand withdrawn automatically in the event of breach of any of the above mentioned conditions are not followed at site.

The Bank Guarantee submitted by General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli is valid up to 03.06.2023. Please make it sure that if the work is not completed within Bank Guarantee Validity period or stipulated time as per terms of Agreement and this letter, this office may be informed one month in advance, so that necessary action may be initiated. The applicant may be allowed to undertake the remaining work only after receiving permission from this office as well as the extension of Bank Guarantee. Please also ensure before signing agreement that all fee & Charges as per new guide lines are received & B.G. submitted by the General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli.

(Pradeep Jain)

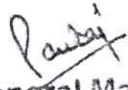
Chief General Manager (Admin)
MPRDC, Bhopal

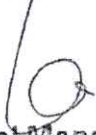
Bhopal, Dated 16/09/2022

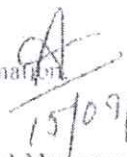
Encl. No. 10736/291/OTH/APMS2022/3224/MPRDC/2022

Copy forwarded to-

1. Project Managing Director, MPRDC, Bhopal for information please.
2. General Manager, M.P Jal Nigam Maryadit, PIU Singrauli- for information.


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)


Chief General Manager (Admin)
MPRDC, Bhopal



कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैदुन
जिला-सिंगरौली (म. प्र.)

(एल.आई.जी. कॉलोनी के पास, वार्ड क्र. 37, मकान नं.-1, मनोरमा हाउस, विन्ध्यनगर) E-Mail : gmmprrdawaidhan@rediffmail.com

पत्र क्रमांक/1253/तक/2021

बैदुन, दिनांक 05/08/2021

प्रति,

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

पी.आई.यू. शहडोल

जिला-शहडोल (म.प्र.)

ई-मेल- gmshahdol.mpjalnigam@mp.gov.in

विषय:-Regarding Permission for pipe line Along and Across PMGSY road during execution of Gond Deosar Multi Village Rural Water Supply Scheme Dist. Singrauli.

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 1595/2021/G.M./MPJNM/PIU/ शहडोल दिनांक 20.07.2021

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पी.एम.जी.एस.वाय. के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन मार्गों के समानान्तर एवं क्रॉस होकर पाइप लाइन बिछाने की अनुमति चाही गई है। यह अनुमति पी.एम.जी.एस.वाय. के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदान की जा रही है। शर्तों के अधीन पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जावे। पाइप लाइन बिछाने का कार्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1 म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग Pipe Line सड़क के किनारे अथवा सड़क को क्रॉस करने की स्थिति में, म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग द्वारा मार्ग में जहां-जहां Pipe Line बिछाई जाना है संपूर्ण जानकारी लाइन डाइग्राम में अंकित कर MPRRDA के सम्बन्धित महाप्रबंधक कार्यालय को अवगत कराया जावेगा, एवं सम्बन्धित महाप्रबंधक से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग कार्य प्रारंभ करा सकेगा।
- 2 Pipe Line को Right of Way के किनारे पर बिछाये जाने की कार्यवाही की जावेगी। जहां Right of Way की चौड़ाई सीमित है, अथवा अन्य कोई स्थाई बाधा या निर्माण है, वहां पर Pipe Line को सड़क की Drain को Clear करते हुए Toe Line के बाहर बिछाया जायेगा।
- 3 Pipe Line को यदि पूर्व निर्मित अथवा निर्माणाधीन रोड को क्रॉस करना आवश्यक है तो उस स्थिति में Pipe Line को जहां तक संभव हो सके वहां सड़क मार्ग में पूर्व निर्मित पुल एवं पुलियों के नीचे से क्रॉस कराये जाने की व्यवस्था की जावे। पूर्व निर्मित पुल पुलियों में Pipe Line बिछाये जाने के कार्य नाला अथवा नदी के Bed Level के नीचे Concrete Casing एवं Concrete Cover के साथ इस प्रकार संपादित कराया जावे कि निर्मित/निर्माणाधीन पुल पुलिया का Designed Water Way में परिवर्तन न हो। यह कार्य कराने की संपूर्ण जवाबदारी म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग की होगी। (परन्तु यह अनुमति, हयूम पाइप पुलिया के लिये लागू नहीं होगी) यदि Pipe Line सड़क को क्रॉस कर रही है तो उस स्थिति में Pipe Line के नीचे CC M-15 की 15 Cm bedding के पश्चात् Trench को Granular/Crushed Stone Material से भरने के पश्चात् ऊपर Wearing Coat के रूप में 20 CM मोटाई का CC M-30 से कार्य कराना होगा। Pipe Line यदि मार्ग के शोल्डर पर बिछाई जाती है तो बिछाने के पश्चात् Trench की Back Filling पुनः Granular/Crushed Stone Material से व्यवस्थित रूप से Watering Compaction के साथ किया जाना आवश्यक होगा। Without encasement रोड कटिंग कर पाइप बिछाने की स्थिति में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि पाइप के ऊपर कम से कम 1.2 मी. का कुशन स्थापित हो तथा पाइप की Trench की भरायी 2 स्तर पर Granular Material से की जाएगी। प्रथम में पाइप के टॉप तक भरायी की समुचित Compaction कर द्वितीय स्तर में मार्ग के GSB स्तर तक भरायी कर समुचित Compaction किया जाएगा।
- 5 सड़क के किनारे Pipe Line बिछाने हेतु जो Trench खोदी जावेगी, उसमें खुदाई से प्राप्त मटेरियल सड़क के Formation Width के ऊपर नहीं डाला जावेगा। विशेष परिस्थितियों में खुदाई से प्राप्त मटेरियल Side Slope, Rain Cut में डाला जा सकेगा। खुदाई से प्राप्त अतिरिक्त मटेरियल PMGSY के सम्बन्धित कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार Disposal किया जाना आवश्यक होगा।



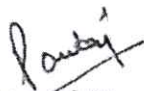
Forwarded to
MLs L&T
for information
and compliance
06/08/21

- 6 PMGSY की पूर्व निर्मित अथवा निर्माणाधीन सड़क से म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग की Pipe Line कौंस करने की स्थिति में सड़क पर यातायात बाधित न हो एवं निर्माणाधीन सड़क में निर्माण गतिविधियाँ प्रभावित नहीं हो इस हेतु Diversion Road निर्धारित चौड़ाई में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग के अनुबधित ठेकेदार द्वारा बनाया जाने का संपूर्ण दायित्व म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग का होगा।
- 7 Diversion Road बनाये जाने की स्थिति में मुख्य मार्ग पर उचित अवरोधक, रात्रिकालीन संकेत सूचक व सड़क सुरक्षा इत्यादि व्यवस्थायें करने का उत्तरदायित्व म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग का होगा।
- 8 Pipe Line क्रॉसिंग का कार्य व Road Restoration का कार्य निर्धारित मापदण्डों अनुरूप पूर्ण होने व इस संबंध में MPRRDA से सम्बन्धित कार्यालय द्वारा संतोषप्रद कार्यपूर्णता सुनिश्चित होने तक Diversion Road के रखरखाव का उत्तरदायित्व म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग का होगा। Road restoration का कार्य Road cutting के 15 दिन के अंदर पूर्ण किया जाए साथ ही यातायात सुरक्षा मानकों का भी पालन किया जाएगा। यदि Road Restoration का कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में MPRRDA अपने संविदाकार से Road Restoration का कार्य पूर्ण करावेगा एवं उस पर आने वाला व्यय का भुगतान नगरीय प्रशासन को करना होगा।
- 9 Pipe Line बिछाने के कार्य में म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग के संबंधित ठेकेदार द्वारा यदि कार्य संपादन में कोई त्रुटि या कमी पाई जाती है अथवा कार्यों के संपादन में अनावश्यक विलम्ब किया जाना पाया जाता है तो इस स्थिति में म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुये अपने कार्यालय स्तर से इन कार्यों को पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- 10 ठेकेदार का पूर्णता प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि वापस करने के पूर्व MPRRDA से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना म.प्र. अर्वन डेवलपमेन्ट विभाग को आवश्यक होगा।

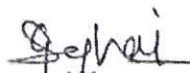
उपरोक्तानुसार शर्तों का पालन करते हुये पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य सम्पादित कराया जा सकता है। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनुमति निरस्त कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

(पी.एस. चौहान)
महाप्रबन्धक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैङ्क
जिला- सिंगरौली (म.प्र.)


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit

Endt. SL.No. 1824	Dt. 06/08/2021
1. Forwarded to TL SQC	
For Checking/Review/Comment/ Recommendation	
2. Forwarded to M/s. L.B.T. Ltd.	
Scheme. Land deo San Distt. Singrauli	
For Checking/Review/Comment/Recommendation	

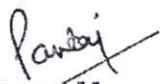

General Manager
Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit
P.H. - SHAHOL

Muck Disposal Plan

Annexure-1.

- 1) KML files for the non forest area and forest area are uploaded along with 4.8057 hacs CA Land uploaded on Parivesh Web Portal.
- 2) Complete plan of water supply & KML depicting all components uploaded on Parivesh Web Portal.
- 3) No Objection Certificates from MPRDC and PMGSY is attached.
- 4) Component wise breakup for 48.057 kms of pipeline network 4.8057 hacs land detail uploaded dated on Parivesh portal along with layout plan attached.
- 5) After laying of pipe line, excavated quantity will be used for filling of trench and levelling purpose, therefore there will be no muck disposed outside.
Excavated Volume- $(48057 \times 1 \times 1.2) = 57,668.4 \text{ cum}$
Pipe Volume - $(3.14 \times 0.1 \times 0.1 \times 48057) = 1,508.9898 \text{ cum}$
Backfilled Soil = 56,159.4102 cum
Remaining Muck- (Excavated Soil- Backfilled Soil) = 1,508.9898 cum

Note -Excavated soil shall be backfilled and levelled. And Remaining muck (Equal to pipe volume) will be disposed off at available surplus revenue land 3.8 (20.8 – 17) ha. located at village pipri, teh: chitrangi khasra no. 245 allotted to MPJNM.


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

COMPONENT WISE BREAKUP

Requir and Topographical compulsions these clear water distributions are to be laid on these locations, situated in the forest area.

Annexure:-

S.N.	Division / Park	District	Compartment Range	Length (km)	Width(m)	Area(Ha.)
1	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	1174	1	0.1174
2	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	122	1	0.0122
3	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	245	1	0.0245
4	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	118	1	0.0118
5	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	302	1	0.0302
6	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	144	1	0.0144
7	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	910	1	0.091
8	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	351	1	0.0351
9	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	449	1	0.0449
10	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	482	1	0.0482
11	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	443	1	0.0443
12	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	501	1	0.0501
13	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	34	1	0.0034
14	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	11	1	0.0011
15	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	148	1	0.0148
16	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	983	1	0.0983
17	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	297	1	0.0297
18	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	96	1	0.0096
19	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	48	1	0.0048
20	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	356	1	0.0356
21	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	103	1	0.0103
22	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	67	1	0.0067

P. J. Nigam
General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

23	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	45	1	0.0045
24	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	44	1	0.0044
25	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	64	1	0.0064
26	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	72	1	0.0072
27	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	55	1	0.0055
28	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	33	1	0.0033
29	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	40	1	0.004
30	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	130	1	0.013
31	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	75	1	0.0075
32	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	77	1	0.0077
33	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	37	1	0.0037
34	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	93	1	0.0093
35	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	153	1	0.0153
36	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	182	1	0.0182
37	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	71	1	0.0071
38	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	773	1	0.0773
39	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	90	1	0.009
40	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	61	1	0.0061
41	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	25	1	0.0025
42	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	32	1	0.0032
43	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	170	1	0.017
44	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 778	95	1	0.0095
45	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	829	1	0.0829
46	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	34	1	0.0034
47	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	534	1	0.0534
48	CLEAR WATER	SINGRAULI	PF 779	261	1	0.0261


General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

	DISTRIBUTION MAIN					
49	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	278	1	0.0278
50	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	65	1	0.0065
51	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	72	1	0.0072
52	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	45	1	0.0045
53	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	53	1	0.0053
54	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	61	1	0.0061
55	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	66	1	0.0066
56	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	40	1	0.004
57	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	41	1	0.0041
58	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	120	1	0.012
59	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	1360	1	0.136
60	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	207	1	0.0207
61	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	140	1	0.014
62	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	265	1	0.0265
63	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	379	1	0.0379
64	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 780	152	1	0.0152
65	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 779	107	1	0.0107
66	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	611	1	0.0611
67	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	249	1	0.0249
68	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	261	1	0.0261
69	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	313	1	0.0313
70	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	287	1	0.0287
71	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	424	1	0.0424
72	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	528	1	0.0528
73	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	285	1	0.0285


General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

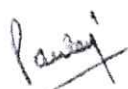
74	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	279	1	0.0279
75	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	46	1	0.0046
76	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	138	1	0.0138
77	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	238	1	0.0238
78	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	124	1	0.0124
79	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	88	1	0.0088
80	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	45	1	0.0045
81	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	49	1	0.0049
82	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	66	1	0.0066
83	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	264	1	0.0264
84	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	230	1	0.023
85	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	134	1	0.0134
86	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	48	1	0.0048
87	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	51	1	0.0051
88	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	51	1	0.0051
89	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	50	1	0.005
90	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	41	1	0.0041
91	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 781	56	1	0.0056
92	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 782	618	1	0.0618
93	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 782	169	1	0.0169
94	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 786	132	1	0.0132
95	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 782	167	1	0.0167
96	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 824	247	1	0.0247
97	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 824	68	1	0.0068
98	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 824	137	1	0.0137
99	CLEAR WATER	SINGRAULI	PF 824	26	1	0.0026


General Manager

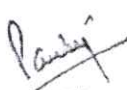
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit

Singrauli (11.21)

	DISTRIBUTION MAIN					
100	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 824	29	1	0.0029
101	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 824	193	1	0.0193
102	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 824	36	1	0.0036
103	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 824	23	1	0.0023
104	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 824	42	1	0.0042
105	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 824	46	1	0.0046
106	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	340	1	0.034
107	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	310	1	0.031
108	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	987	1	0.0987
109	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	479	1	0.0479
110	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	113	1	0.0113
111	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	622	1	0.0622
112	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	100	1	0.01
113	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	85	1	0.0085
114	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	708	1	0.0708
115	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	70	1	0.007
116	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	113	1	0.0113
117	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	640	1	0.064
118	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	31	1	0.0031
119	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	210	1	0.021
120	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	340	1	0.034
121	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	143	1	0.0143
122	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	530	1	0.053
123	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	668	1	0.0668
124	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	251	1	0.0251

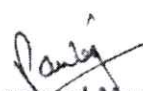

General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Ahmednagar, M.P.

125	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	1958	1	0.1958
126	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	1224	1	0.1224
127	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	222	1	0.0222
128	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	139	1	0.0139
129	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	195	1	0.0195
130	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	218	1	0.0218
131	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	310	1	0.031
132	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	44	1	0.0044
133	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	30	1	0.003
134	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	68	1	0.0068
135	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	951	1	0.0951
136	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	270	1	0.027
137	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	650	1	0.065
138	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	188	1	0.0188
139	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	79	1	0.0079
140	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	229	1	0.0229
141	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	188	1	0.0188
142	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	277	1	0.0277
143	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	55	1	0.0055
144	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	45	1	0.0045
145	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	57	1	0.0057
146	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	196	1	0.0196
147	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	36	1	0.0036
148	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	22	1	0.0022
149	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	69	1	0.0069
150	CLEAR WATER	SINGRAULI	RF 813	58	1	0.0058


General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

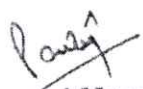
Area
 rive
 pe-
 re it is
 native
 re it is
 native
 ing of

	DISTRIBUTION MAIN					
151	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 813	156	1	0.0156
152	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	61	1	0.0061
153	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 827	31	1	0.0031
154	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 826	599	1	0.0599
155	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 826	321	1	0.0321
156	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 826	60	1	0.006
157	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 826	44	1	0.0044
158	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 826	103	1	0.0103
159	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 826	168	1	0.0168
160	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 817	230	1	0.023
161	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 826	570	1	0.057
162	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 826	73	1	0.0073
163	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 826	79	1	0.0079
164	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 814	90	1	0.009
165	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 814	273	1	0.0273
166	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 814	251	1	0.0251
167	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 814	43	1	0.0043
168	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	RF 814	87	1	0.0087
169	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	949	1	0.0949
170	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	544	1	0.0544
171	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	201	1	0.0201
172	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	151	1	0.0151
173	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	91	1	0.0091
174	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	95	1	0.0095
175	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	24	1	0.0024


General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

area
 ive.
 ge-
 it is
 ative
 it is
 ative
 g of

176	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	922	1	0.0922
177	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	286	1	0.0286
178	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	444	1	0.0444
179	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	233	1	0.0233
180	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	86	1	0.0086
181	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	611	1	0.0611
182	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	410	1	0.041
183	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	314	1	0.0314
184	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	72	1	0.0072
185	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	122	1	0.0122
186	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	108	1	0.0108
187	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	60	1	0.006
188	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	35	1	0.0035
189	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	510	1	0.051
190	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	772	1	0.0772
191	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	165	1	0.0165
192	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	208	1	0.0208
193	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	31	1	0.0031
194	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 828	12	1	0.0012
195	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 829	613	1	0.0613
196	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 829	181	1	0.0181
197	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 829	100	1	0.01
198	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 829	51	1	0.0051
199	CLEAR WATER DISTRIBUTION MAIN	SINGRAULI	PF 829	100	1	0.01
Total:-					4.8057 (ha.)	


General Manager
 M.P. Jal Nigam Maryadit
 Project Implementation Unit
 Singrauli (M.P.)

कार्यालय वन संरक्षक रीवा वन वृत्त रीवा
केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म०प्र०
Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in

आदेश

रीवा,दिनांक 27.06.2024

क्रमांक/मा.चि./2024/...151. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-1194/191/2022/नियम/चार, भोपाल दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली के पत्र क्रमांक/तक/3674 दिनांक 06.06.2024, 4071 दिनांक 26.06.2024 से वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत ग्रामीण समूह जल प्रदाय परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले सिंगरौली जिले की तहसील चितरंगी के ग्राम पिपरी के खसरा क्रमांक 245 में 7.000 हे. एम.डी. एफ. एवं 7.000 हे. व्ही.डी.एफ. पाए जाने पर अ०प्र०मु०व०सं० भू-प्रबंध म०प्र०भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1204/2022/10-11/4611 दिनांक 17.10.2023 से दिये गये निर्देशानुसार 17.000 हे. में से शेष बचे 3.000 हे. गैर वनभूमि पर 3000 पौधों की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं 14.000 हे. वनभूमि पर 14000 पौधों की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में	अनुमानित लागत रु. में
सिंगरौली जिले में ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना 1. FP/MP/WATER/151757/2022, 2. FP/MP/WATER/144394/2021, 3. FP/MP/WATER/154848/2022, 4. FP/MP/WATER/151418/2022	माड़ा	मकरोहर	पीएफ-421	14.000	8350993.00
	कर्धुआ	धानी	खसरा क्र. 245	घेराव हेतु रकबा 17.000 हे. रोपण क्षेत्र 3.000 हे.	7033682.00

शर्तें-

- सभी क्षतिपूर्ति वनीकरण रोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. क्रमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
- म०प्र०शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-25-36/2005/10-3/2002 दिनांक 10 अक्टूबर 2023 से दिये गये निर्देशानुसार वृक्षारोपण योजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जावेगी।
- जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई एवं अक्टूबर माह में कराई जावे।
- कार्य का क्रियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक की दर से मजदूरी दर में वृद्धि का प्रावधान किया गया है फिर भी यदि दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है, तो अन्तर की राशि सम्बन्धित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।
- सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन अनिवार्य हो।

(राजेश कुमार राय)

भा.व.से.

वन संरक्षक

रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.

पृ.क्रमांक/मा.चि./2024/...4959

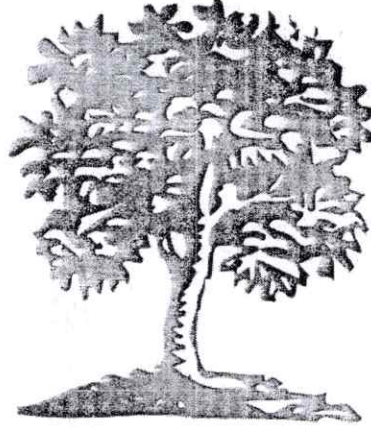
प्रतिलिपि- वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

रीवा,दिनांक 27.06.2024

वन संरक्षक

रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



जल जीवन मिशन योजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का ग्यारह वर्षीय प्राक्कलन

योजना का नाम	:	जल जीवन मिशन योजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य
स्थल का नाम	:	पिपरी
खसरा क्रमांक	:	245
रकबा (हेक्टेयर में)	:	घेराव 17.00 हेक्टेयर, रोपण 3.00 हेक्टेयर
जी.पी.एस. रीडिंग	:	24°29'45.98"N, 82°22'32.49"E
प्रस्तावित राशि	:	7033682
प्रति हेक्टेयर व्यय	:	413746
योजना वर्ष	:	2024-25 से 2034-35

वन परिक्षेत्र कर्तुआ
वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य)

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन

भाग-1

समग्र विवरण

1- परियोजना का विवरण

(अ) परियोजना का नाम

जल जीवन मिशन योजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का ग्यारह वर्षीय प्राक्कलन

(ब) भारत सरकार का अनुमोदन	-
(स) प्रत्यावर्तित वनभूमि का विवरण	-
i- जिला	-- सिंगरौली (मध्य प्रदेश)
ii- वन मण्डल	- सिंगरौली
iii- परिक्षेत्र	- कर्धुआ
iv- तहसील	- चितरंगी
v- विकास खण्ड	- चितरंगी
vi- विधान सभा क्षेत्र	- चितरंगी
vii- क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	- हरफरी
viii- क्षेत्रीय परिसर (बीट)	- धानी
2- स्थल विशेष जानकारी	-
i- सामुदायिक वन प्रबंधन समिति	- पिपरी
ii- वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक	- राजस्व क्षेत्र
iii- कुल क्षेत्रफल	- 20.959 हे०
iv- कार्यवृत्त	- आर.डी.एफ.
v- उपचार श्रेणी/प्रबंध श्रेणी	-
vi- उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष	-
vii- स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	- 25 किलोमीटर
3- गठित समिति का प्रकार	- सामुदायिक वन प्रबंधन समिति
4- समिति का मुख्यालय	- धानी
5- समिति में सम्मिलित ग्राम	- धानी, पिपरी, जरबैला
6- समिति के अध्यक्ष का नाम	- श्री सवाईलाल सिंह
7- परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम	- श्री दिनेश कुमार रत्नाकर
8- परिक्षेत्र सहायक का नाम	- श्री शिवेन्द्र कुमार रायत, वनपाल
9- समिति के सदस्यों की जानकारी	-

वर्ग	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल
आदिवासी	380	205	585	176	158	334	0	0	0	0	0	0	556	363	919
हरिजन	50	49	99	18	12	30	0	0	0	0	0	0	68	61	129
पिछड़ा वर्ग	162	154	316	74	51	125	0	0	0	0	0	0	236	205	441
सामान्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	592	408	1000	268	221	489	0	0	0	0	0	0	860	629	1489

10- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं स्वभाव --

i- टोपोग्राफी	- समतल एवं हल्की पहाड़ी
ii- एस्पेक्ट	- पूर्व-पश्चिम
iii- ढलान	- सामान्य
A- पानी निकासी	अच्छी
B- भू-क्षरण	आंशिक
iv- चट्टानों का विवरण	- सैण्डस्टोन
v- मिट्टी का प्रकार	- सेन्डीलोम
vi- औसत वार्षिक वर्षा	- 110 से.मी.
vii- नरम मिट्टी का क्षेत्र	- 05 हेक्टेयर
viii- कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	- 12 हेक्टेयर
ix- पथरीली मिट्टी	- निल
x- आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	- निल
xi- आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	- निल
xii- खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना) क्षेत्र	- निरंक
xiii- वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	- 3.00 हेक्टेयर
xiv- चारागाह रोपण योग्य क्षेत्र	- निरंक
xv- विकृत बांस का क्षेत्र	- निरंक
xvi- क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) है	निरंक

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	सामान्य	40 प्रतिशत	निरंक
चराई	निरंक	निरंक	निरंक
मानव	सामान्य	सामान्य	निरंक

11- योजना का उद्देश्य

- परियोजना हेतु व्यवर्तित क्षेत्र से दुगने क्षेत्र का वनीकरण।
- क्षेत्र में पूर्व में मौजूद जड़ भण्डार को विकसित करना।
- क्षेत्र में मौजूद विकृत पौधों को कटबैक कर सीधे वृक्ष के रूप में परिवर्तित करना।
- वृक्षारोपण क्षेत्र का वनीकरण कर क्षेत्र को हरा-भरा बनाना।
- क्षेत्र का जल संरक्षण संरचनाएं निर्मित कर जल-स्तर को ऊपर उठाना।
- समिति सदस्यों को रोजगार मुहैया कराना एवं कालान्तर में स्थापित वन से सस्टेनेबल लाभ प्राप्त करना।
- क्षेत्रीय जनता को रोजगार उपलब्ध करना।

12- उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

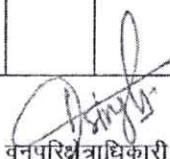
- कटबैक का क्षेत्र - प्राक्कलन अनुसार
 - वृक्षारोपण का क्षेत्र - 3.00 हेक्टेयर
 - भू एवं जल संरक्षण का क्षेत्र - प्राक्कलन अनुसार
- 13- रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे - ओबरी, जोगदहा, निगरी एवं रीवा नर्सरी
- 14- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी - 75 कि.मी से 250 किलोमीटर
- लोकल ट्रेक्टर द्वारा (कि.मी.) - 15 कि.मी
 - सिखोइल द्वारा (कि.मी.) - 1 से 2 कि.मी.
- 15- सिंचाई का विवरण :-

जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का प्राक्कलन चेक-लिस्ट

स्थल- पिपरी, खसरा क्रमांक 245 (घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर) वर्ष 2024-25

क्र०	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रस्तावित राशि	प्रति (हेक्टेयर व्यय)	समिति की सामान्य जानकारी	उपचार की जानकारी	प्राक्कलन	उपचार मानचित्र	मूल मानचित्र	स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	घेराव कार्य हेतु प्रमाण-पत्र	ग्राम वन समिति का प्रस्ताव	.KML फाईल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का ग्यारह वार्षिक प्राक्कलन	17	7033682	413746	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	ई-मेल से प्रेषण	


उपप्रमुख अधिकारी
रूढ़ी


वनपरिक्षेत्राधिकारी
कथुआ

- | | | | |
|------|--|---|--------------------|
| i- | जल स्रोत | - | टेंकर द्वारा |
| ii- | वृक्षारोपण से दूरी | - | 3 कि.मी. |
| iii- | सिंचाई प्रकार | - | टेंकर द्वारा |
| iv- | बिजली उपलब्धता | - | निरंक |
| 16- | योजना अवधि | - | 2023-24 से 2033-34 |
| 17- | योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय
(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है) | - | 218469 |
| 18- | प्रति हेक्टेयर व्यय | | 12851 |
| 19- | अन्य विवरण | | |

क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा हेतु संवेदनशीलता के मद्देनजर चैनलिंग फेंसिंग का प्रावधान रखा गया है तथा प्रभावी सुरक्षा हेतु परियोजना की अवधि ग्यारह वर्षीय रखी गई है। रोपण क्षेत्र की सुरक्षा ग्राम वन समितियों के माध्यम से की जायगी।

भाग-2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं।

परिसर रक्षक- श्री दिनेश कुमार रत्नाकर
सचिव- सामुदायिक वन प्रबंधन समिति पिपरी

प्रमाणित किया जाता है कि स्थल का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई।

परिक्षेत्र सहायक- श्री शिवेन्द्र कुमार रावत, वनपाल
परिक्षेत्र सहायक वृत्त- हरफरी

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार/वृक्षारोपण कार्य के के योग्य है।

वन अधिकारी

परिक्षेत्र सहायक

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

वैकल्पिक वृक्षारोपण का प्राक्कलन

क्षेत्र तैयारी (प्रथम वर्ष 2023-24)

स्थल का नाम :- ग्राम पिपरी खसरा नम्बर 245

मानव दिवस रुपये 391.00

घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विरोच विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	17	0.45	हेक्टेयर	7.65	2991	APCCF जॉब दर
2	भाग 1/2	क्षेत्र सफाई क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़ियाँ (लेन्टाना छोड़कर) एवं खकरी कटाई (20 से.मी. से नीचे) कर एकत्रित करना जलाना	15	4.00	हेक्टेयर	60.00	23460	APCCF जॉब दर
3	भाग 1/3	लेन्टाना उन्मूलन	0	12.50	हेक्टेयर	0.00	0	APCCF जॉब दर
4	भाग 1/3	कटबैक 20 से.मी. से कम गोलाई की विकृत अग्रिम पौध की कटाई	5	1.20	हेक्टेयर	6.00	2346	APCCF जॉब दर
5	भाग 1/4	स्टेकिंग- गड्ढे खोदने के पूर्व रस्सी से लाईन डालना एवं दूने से गड्ढे हेतु निशान लगाना अंतराल 3x2 मीटर एवं 4x4 मीटर	3000	2.50	हजार	7.50	2933	APCCF जॉब दर
6	भाग 1/5	गड्ढा खुदाई						
		30x30x30 से.मी.	0	3.00	सैकड़	0.00	0	APCCF जॉब दर
		45x45x45 से.मी.	3000	5.00	सैकड़	150.00	58650	APCCF जॉब दर
7	RESSOR	फेंसिंग के धारों और तथा रोपण क्षेत्र में सेक्टर निर्माण तथा पहुँच मार्ग निर्माण	2.50	135000.00	प्रति कि.मी.	863.17	337500	RESSOR
8	भाग 1/10, 2/15, एवं RES SOR	भू एवं जल संरक्षण कार्य						APCCF जॉब दर
		1. कन्दूर ट्रेंच/रिंग ट्रेंच (3.00x0.45x0.45 मी.) खुदाई एलाइनमेंट सहित	500	0.3315	नग	165.75	64808	APCCF जॉब दर
		2. मिट्टी बंधन (मिट्टी के चेकडेम)	0	0.60	घ.मी.	0.00	0	APCCF जॉब दर
		3. लूज बोल्टर चेकडेम	0	1.00	घ.मी.	0.00	0	APCCF जॉब दर
		4. कण्टूर बण्ड (0.60x0.45x0.30 से.मी.)	0	0.18	र.मी.	0.00	0	APCCF जॉब दर
		5. परकोलेशन टेक निर्माण	0	250000.00	र.मी.	0.00	0	RESSOR
		6. जल डबरी निर्माण (साईज 6.00x6.00x1.00 मीटर) 50 नग	1800	0.60	घ.मी.	1080.00	422280	RESSOR
		योग भू-जल संरक्षण कार्य -				1245.75	487088	
9	भाग 1/17	गड्ढों में कीटनाशक, गोबर खाद मिश्रित मिट्टी बदलना	3000	1.50	सैकड़	45.00	17595	APCCF जॉब दर
10	एल.एस.	अस्थायी झोपड़ी निर्माण	-	-	एल.एस.	153.45	60000	एल.एस.
		योग मजदूरी -				2538.52	992563	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
11	निविदा दर	गड्ढों में डालने के लिए उपजाऊ मिट्टी का संग्रहण एवं परिवहन (गड्ढों के आयतन का 40 प्रतिशत)	109.35	829.00	घ.मी.	231.84	90651	निविदा दर
12	निविदा दर	गोबर खाद क्रय एवं परिवहन (गड्ढों के आयतन का 20 प्रतिशत)	54.68	869.00	घ.मी.	121.52	47513	निविदा दर
13	एल.एस.	अन्य-व्यय (चूना, रस्सी, गैरू, लैंक जापान क्रय, साईन बोर्ड, लोहे का गेट क्रय, आर.सी.सी. पोल, वैनेलिक फेंसिंग लोकल दुल्हाई आदि)	-	-	एल.एस.	383.63	150000	एल.एस.
		योग सामग्री -				736.99	288164	
		योग (मजदूरी+सामग्री) :-				3275.52	1280727	
वैनेलिक फेंसिंग आर.सी.सी. पोल के साथ								
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/5	वैनेलिक फेंसिंग के लिये गड्ढे खोदना (साईज 30x30x45 से.मी.) 2100 र.मी. में 2.50 मीटर के अन्तराल पर	840	3.80	सैकड़	31.92	12481	APCCF जॉब दर

2	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/2222 रीवा, दिनांक 10.03.2010 से अनुमोदित दर अनुसार	ट्रक्युल धाईट से पोल गड्डे तक ले जाना तथा गड्डों में पोल गाड़ना, सीमेंट काक्रीट तैयार कर काक्रीटिंग कार्य करवाना (मिस्त्री मजदूरी सहित) तथा अगले 4 दिन तक तराई करना। चैनलिक या तार ट्रक्युल धाईट से फेंसिंग स्थल तक ले जाना, तार या चैनलिक खंभे में फंसाकर कसना। यूनेक्स लगाना तथा चैनलिक की जमीनी सतह को मिट्टी से दबाना।	2.100	85.00	कि.मी.	178.50	69794	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/2222 रीवा, दिनांक 10.03.2010 से अनुमोदित दर अनुसार
3	भाग 2/13	चैनलिक फेंसिंग में तीन पॉकेट (ऊपर, नीचे एवं मध्य) में बारबेड वायर खींचकर लगाना	2100	0.096	प्रति र.मी.	201.60	78826	APCCF जॉब दर
		योग मजदूरी -				412.02	161100	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
1	LUN की दर	फेंसिंग के लिये (Pre-Stressed) आर.सी. सी. पोलस की खरीदी (2100 र.मी. के लिए कैंची सहित) साईज 2.00 मी.	1008	248.00	नग	639.35	249984	LUN की दर
2	LUN की दर	चैनलिक जाली खरीदी (2100 Rmt. X 1.50 = 3150 वर्ग मीटर के लिए) (साईज-100x100mmx4mm) 2.26kg./Sqm.	3150	155.00	वर्ग मी.	1248.72	488250	LUN की दर
3	LUN की दर	चैनलिक के ऊपर एवं नीचे तथा मध्य में तनाव हेतु बारबेड वायर क्रय	1050	86.00	कि.ग्रा.	230.95	90300	LUN की दर
4	निविदा दर	चैनलिक को आर.सी.सी. पोलस से बाँधने के लिये वाईडिंग वायर क्रय	393.75	70.00	कि.ग्रा.	70.49	27563	निविदा दर
5	PWD SOR Item Number 4.1.2.2	पोलस फिक्स करने के लिए सीमेंट काक्रीट 40 एम.एम. मेटल 1:3:6 - एक गड्डे का कुल आयतन 30X30X45 Cm. = 0.0405 फेंसिंग पोस्ट का आयतन कम करने पर 45x15x15Cm. = 0.0101 शुद्ध आयतन 0.0304 घ.मी. प्रति गड्डा	25.54					PWD SOR Item Number 4.1.2.2
	निविदा दर	सीमेंट क्रय (परिवहन सहित)	111	324.69	प्रति बोरी	92.26	36073	निविदा दर
		गिट्टी 40 एम.एम. क्रय (परिवहन सहित)	23.14	1149.00	प्रति घ.मी.	68.00	26587	
		रेता क्रय (परिवहन सहित)	11.57	1119.00	प्रति घ.मी.	33.11	12946	
		योग :-				2382.87	931703	
		योग फेंसिंग (मजदूरी+सामग्री) :-				2794.89	1092802	
		महायोग -				6070.41	2373529	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					139619	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

द्वितीय वर्ष - 2024-25 (रोपण कार्य)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	-	पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	3300	13.00	प्रति नग	109.72	42900	-
2	मुख्य वन संरक्षक सेवा, वृक्ष रोपण के पत्र क्रमांक/व्यय एक/4506-सी. दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर	पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	3300	20.00	हजार	66.00	25806	मुख्य वन संरक्षक सेवा, वृक्ष रोपण के पत्र क्रमांक/व्यय एक/4506-सी. दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़दों तक पहुँचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	3300	0.40	सैकड़ा	13.20	5161	APCCF जॉब दर
4	भाग 3/5	पौधा रोपण कार्य						
		30x30x30 से.मी. गड़दों में रोपण	0	1.50	सैकड़ा	0.00	0	APCCF जॉब दर
		45x45x45 से.मी. गड़दों में रोपण	3000	1.80	सैकड़ा	54.00	21114	APCCF जॉब दर
5	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत एवं भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत कार्य	0.00	0.00	एल.एस.	306.91	120000	एल.एस.
6	भाग 2/10	निर्दाई कार्य						
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	3000	1.25	सैकड़ा	37.50	14663	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	3000	1.00	सैकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	3000	1.00	सैकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
7	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर वाले ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटवाई सफाई एवं जलाई)	4.600	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
8	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	3000	0.60	सैकड़ा	18.00	7038	APCCF जॉब दर
9	भाग 2/11	वर्मी कम्पोस्ट खाद डलवाई कार्य (500 ग्राम प्रति पौधा)	3000	0.50	सैकड़ा	15.00	5865	APCCF जॉब दर
10	एल.एस.	पौधों की सिंचाई कार्य (टैंकर द्वारा दो बार)	0	0.00	एल.एस.	511.51	200000	एल.एस.
11	अमान्युक्त दर	सुरक्षा कार्य	270	391.00	प्रति दिवस	270.00	105570	अमान्युक्त दर
		योग मजदूरी -				1472.18	575624	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
12	एल.एस.	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	0	0.00	एल.एस.	102.30	40000	एल.एस.
13	बाजार दर	वर्मी कम्पोस्ट (500 ग्राम प्रति पौधा) क्रय	1500	10.00	कि.ग्रा.	38.36	15000	बाजार दर
14	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय (वर्मी कम्पोस्ट परिवहन कार्य)	0	0.00	एल.एस.	51.15	20000	एल.एस.
		योग सामग्री -				191.82	75000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				1664.00	650624	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					38272	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

उपवनमंडलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

तृतीय वर्ष - 2025-26 (स्खरखाव का प्रथम वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	-	पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 20 प्रतिशत अतिरिक्त	600	13.00	प्रति नग	19.95	7800	-
2	पुष्प वन संरक्षण निग, पुष्प रोपाई के पत्र क्रमंक/जान एक/4596 एक/4596 रोपाई दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर	पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	600	30.00	हजार	18.00	7038	पुष्प वन संरक्षण निग, पुष्प रोपाई के पत्र क्रमंक/जान एक/4596 रोपाई दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को मड़दो तक पहुँचाना समस्त सड़ईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	600	0.40	सैकड़ा	2.40	938	APCCF जॉब दर
4	भाग 2/9	मृत पौधों के स्थान पर नया पौधा लगाना प्रत्यारोपण कार्य	600	1.50	सैकड़ा	9.00	3519	APCCF जॉब दर
5	एल.एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	एल.एस.	306.91	120000	एल.एस.
6	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	242.97	95000	एल.एस.
7	भाग 2/10	निर्दाई कार्य						
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	3000	1.25	सैकड़ा	37.50	14663	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	3000	1.00	सैकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	3000	1.00	सैकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
8	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	3000	0.60	सैकड़ा	18.00	7038	APCCF जॉब दर
9	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर वारी और 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	4.600	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
10	एल.एस.	पौधों की सिंचाई कार्य (टैंकर द्वारा दो बार)	0	0.00	एल.एस.	255.75	100000	एल.एस.
11	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				1292.83	505495	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (वाज्जार दर पर आधारित)								
12	एल.एस.	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	0	0.00	एल.एस.	102.30	40000	एल.एस.
13	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	25.58	10000	एल.एस.
		योग सामग्री -				127.88	50000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				1420.70	555495	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					32676	

वनपरिक्षेपाधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

चतुर्थ वर्ष 2026-27 (रखरखाव का द्वितीय वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	-	पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	300	13.00	प्रति नग	9.97	3900	-
2	पुष्प वन संरक्षण ठीक, वृत्त सेवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/4596 टीका, दिनांक 22.07.2014 से अनुप्रेषित दर	पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	300	48.00	हजार	14.40	5630	पुष्प वन संरक्षण ठीक, वृत्त सेवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/4596 टीका, दिनांक 22.07.2014 से अनुप्रेषित दर
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़दों तक पहुँचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	300	0.40	सेकड़ा	1.20	469	APCCF जॉब दर
4	भाग 2/9	मृत पौधों के स्थान पर नया पौधा लगाना प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)	300	1.50	सेकड़ा	4.50	1760	APCCF जॉब दर
5	एल.एस.	मू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	एल.एस.	217.39	85000	एल. एस.
6	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	191.82	75000	एल. एस.
7	भाग 2/10	निंदाई कार्य						
		प्रथम निंदाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	3000	1.25	सेकड़ा	37.50	14663	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निंदाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	3000	1.00	सेकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
		तृतीय निंदाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	3000	1.00	सेकड़ा	30.00	11730	APCCF जॉब दर
8	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	3000	0.60	सेकड़ा	18.00	7038	APCCF जॉब दर
9	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटवाई सफाई एवं जलाई)	4.600	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
10	एल.एस.	पौधों की सिंचाई कार्य (टैंकर द्वारा दो बार)	0	0.00	एल.एस.	255.75	100000	एल.एस.
11	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				1132.89	442958	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
12	एल.एस.	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक - खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	0	0.00	एल.एस.	102.30	40000	एल.एस.
14	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	12.79	5000	एल. एस.
		योग सामग्री -				115.09	45000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				1247.98	487958	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					28703	

वनप्रिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

पंचम वर्ष 2027-28 (रखरखाव का तृतीय वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ	मजदूरी मूलक कार्य	(मानव दिवस आधारित)						
1	एल. एस.	फोर्सिंग मरम्मत	0	0.00	एल.एस.	191.82	75000	एल. एस.
2	एल. एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	एल.एस.	242.97	95000	एल. एस.
3	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (क्लारेन्स क्षेत्र में कंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
4	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				757.13	296039	
ब-	सामग्री-मूलक कार्य	(बाजार दर पर आधारित)						
5	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	2.56	1000	एल. एस.
		योग सामग्री -				2.56	1000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				759.69	297039	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					17473	

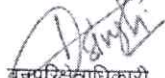
वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

षष्ठम वर्ष 2028-29 (रखरखाव का चतुर्थ वर्ष)

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	मानव दिवस रु. 391.00 विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/2	8वें वर्ष वृक्षारोपण क्षेत्र की सफाई	17	4.00	हेक्टेयर	68.00	26588	सी.एफ. जॉब दर
2	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत एवं मू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	242.97	95000	एल.एस.
3	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर घाटी और 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
4	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				633.32	247627	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
4	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	2.05	800	एल.एस.
		योग सामग्री -				2.05	800	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				635.36	248427	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					14613	


वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ


उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर


वनमण्डलाधिकारी
सिंगरीली

सप्तम वर्ष 2029-30 (रखरखाव का पंचम वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत एवं मू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	250.64	98000	एल. एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (कुमारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर वारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				572.99	224039	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
3	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	1.79	700	एल. एस.
		योग सामग्री -				1.79	700	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				574.78	224739	
		व्यय प्रति सेक्टर -					13220	


उपनिर्देशाधिकारी
कर्तुआ


उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर


वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

अष्टम वर्ष 2030-31 (रखरखाव का षष्ठम वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत एवं भू-जल संरक्षण कार्य का मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	191.82	75000	एल.एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (व्यापक क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर काटे और 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				514.17	201039	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
3	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	1.53	600	एल.एस.
		योग सामग्री -				1.53	600	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				515.70	201639	
		व्याय प्रति हेक्टेयर -					11861	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्युआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

नवम् वर्ष 2031-32 (रखरखाव का सप्तम वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत एवं भू-जल संरक्षण कार्य का मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	153.45	60000	एल.एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में कायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				475.80	186039	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
3	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	1.28	500	एल.एस.
		योग सामग्री -				1.28	500	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				477.08	186539	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					10973	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

दशम वर्ष 2032-33 (रखरखाव का अष्टम वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत एवं भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत कार्य	0	0.00	एल.एस.	102.30	40000	एल.एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (इलाखेप क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर बायीं ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाइन कटाई साफाई एवं जलाई)	4.60	2.25	प्रति कि.मी.	10.35	4047	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				424.65	166039	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
3	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	0.00	0	एल.एस.
		योग सामग्री -				0.00	0	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				424.65	166039	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					9767	

वनपरिक्षेपाधिकारी
कर्तुआ

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरौली

एकादशम् वर्ष 2033-34 (रखरखाव का नवम् वर्ष)

मानव दिवस रु. 391.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5.00	6	7.00	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	अभ्यायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	312	391.00	प्रति दिवस	312.00	121992	अभ्यायुक्त दर
		योग मजदूरी -				312.00	121992	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
2	एल.एस.	अन्य आकरिमक व्यय			एल.एस.	0.00	0	एल.एस.
		योग सामग्री -				0.00	0	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				312.00	121992	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					7176	

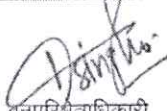
वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

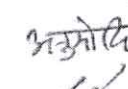
उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

वनमण्डलाधिकारी
सिंगरीली

वर्षवार व्यय का गोशवारा

क्र०	कार्य का विवरण	राशि	कुल मानव दिवस	प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि लेने पर गुणांक	कुल आवश्यक राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम वर्ष 2024-25 (क्षेत्र तैयारी)	2373529	6070.41	391.00	2373529	139619
2	द्वितीय वर्ष 2025-26 (रोपण)	650624	1664.00	414.46	689661	40568
3	तृतीय वर्ष 2026-27 (रखरखाव)	555495	1420.70	439.33	624154	69350
4	चतुर्थ वर्ष 2027-28 (रखरखाव)	487958	1247.98	465.69	581166	64574
5	पंचम वर्ष 2028-29 (रखरखाव)	297039	759.69	493.63	375005	22059
6	षष्ठम वर्ष 2029-30 (रखरखाव)	248427	635.36	523.25	332451	19556
7	सप्तम वर्ष 2030-31 (रखरखाव)	224739	574.78	554.64	318796	18753
8	अष्टम वर्ष 2031-32 (रखरखाव)	201639	515.70	587.92	303190	17835
9	नवम् वर्ष 2032-33 (रखरखाव)	186539	477.08	623.19	297315	17489
10	दशम वर्ष 2033-34 (रखरखाव)	166039	424.65	660.59	280519	16501
11	एकादशम वर्ष 2034-35 (रखरखाव)	121992	312.00	700.22	218469	12851
	योग :-	5514019			6394256	376133
1	आस्थामूलक कार्य (जे.एफ.एम. आदि) कुल दस वर्ष के व्यय का 5 प्रतिशत		6394256	5%	319713	18807
2	मानव संसाधन विकास कार्य कुल दस वर्ष के व्यय का 1 प्रतिशत		6394256	1%	63943	3761
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य कुल दस वर्ष के व्यय का 4 प्रतिशत		6394256	4%	255770	15045
	योग :-				7033682	413746


वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य)

वन संरक्षक
रीवा, वृत्त रीवा (मध्यप्रदेश)


उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर

नकी की खीदी आदेश क्रमांक / सा.सि. / 151 दिनांक / 27-06-2024 से स्वीकृति प्रदान की गई।

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र कर्तुआ अन्तर्गत बीट धानी अन्तर्गत खसरा क्रमांक 245 घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



वनरक्षक

बीट गार्ड धानी

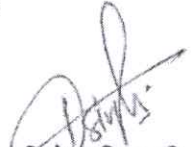
प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र कर्तुआ अन्तर्गत बीट धानी अन्तर्गत खसरा क्रमांक 245 घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



परिक्षेत्र सहायक

हरफरी

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र कर्तुआ अन्तर्गत बीट धानी अन्तर्गत खसरा क्रमांक 245 घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



वनपरिक्षेत्राधिकारी

कर्तुआ

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य) अन्तर्गत वन परिक्षेत्र के बीट धानी अन्तर्गत खसरा क्रमांक 245 घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर क्षेत्र का स्थल निरीक्षण एवं मौका सत्यापन मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण एवं मौका सत्यापन के दौरान प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जाने हेतु उपयुक्त है।

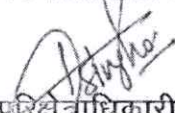

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य)

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र पिपरी खसरा 245 घेराव 17.00 हेक्टेयर एवं रोपण 3.00 हेक्टेयर में पूर्व में किसी भी मद से वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया है और न ही उक्त स्थल पर किसी अन्य मद से वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
कथुआ


वनपरिक्षेत्राधिकारी
कथुआ

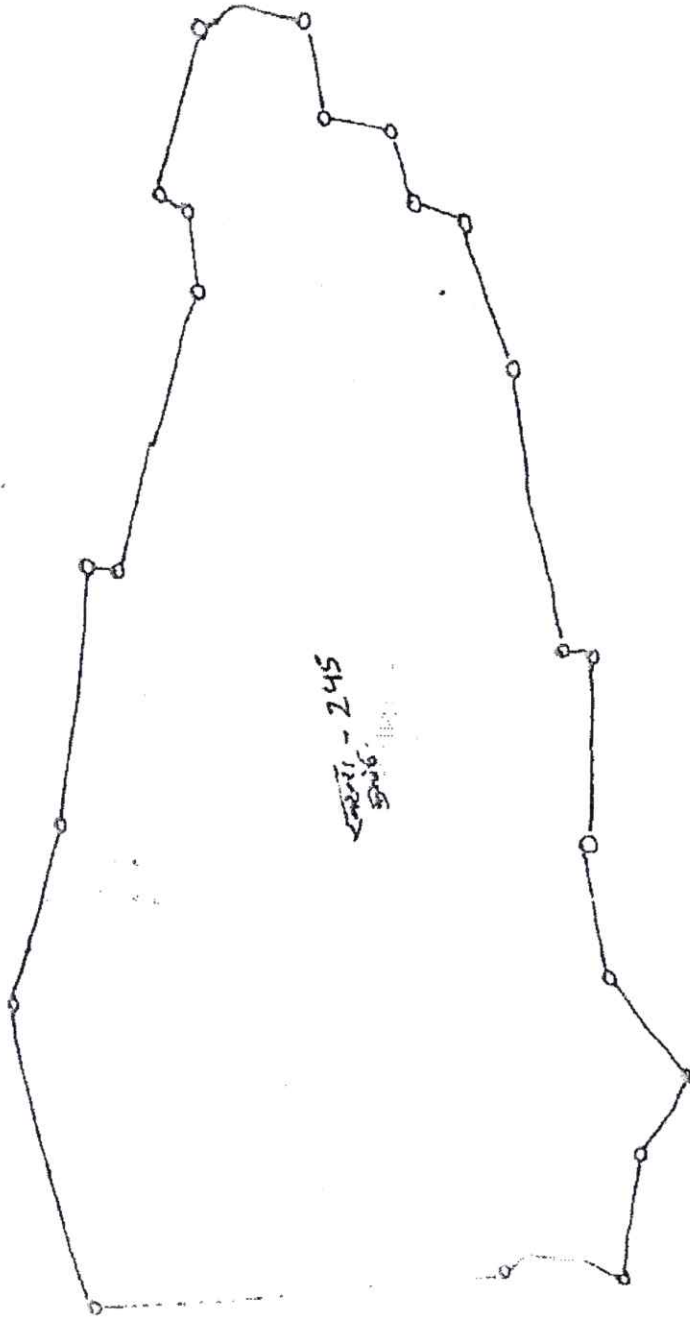
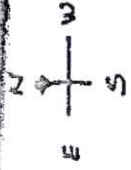
फेंसिंग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र पिपरी खसरा क्रमांक 245 रकबा 17.00 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र कथुआ में स्थित है। इस स्थल के समीप पत्थर दीवार/फेंसिंग बनाने हेतु पत्थर की उपलब्धता नगण्य है। "वृक्षारोपण क्षेत्र के घेराव का एक मात्र एवं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चैनलिंग फेंसिंग ही है, वृक्षारोपण क्षेत्र में चैनलिंग फेंसिंग का घेराव हो जाने पर वृक्षारोपण क्षेत्र एवं चैनलिंग फेंसिंग की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी"


वनपरिक्षेत्राधिकारी
कथुआ


वनपरिक्षेत्राधिकारी
कथुआ

पटवारी हक्क - २५, २६
 २५० - पिटरी



२५० - २५५
 २५६

पटवारी हक्क - २५, २६
 २५० - पिटरी

अग्निविष्णु सामुदायिक वन प्रबंधन समिति- पिपरी, बीह-छानी, परिमलपुर-इशुकी

वज्रपरिक्खेय - कच्छा; वज्रपाय - शिखि (सामान)

[illegible]

* एल इवार आन की मरु जावमपक कित अद्याहा मलीहम की आमुदरि को भागरी आवमपक केसुयउति बिठ गरी फर विसकि
की जाली रे।

प्रति

एलकरवा सिंहर

आत दिना नामनि

अथिव

— १०५ —

क्रिया अथवा

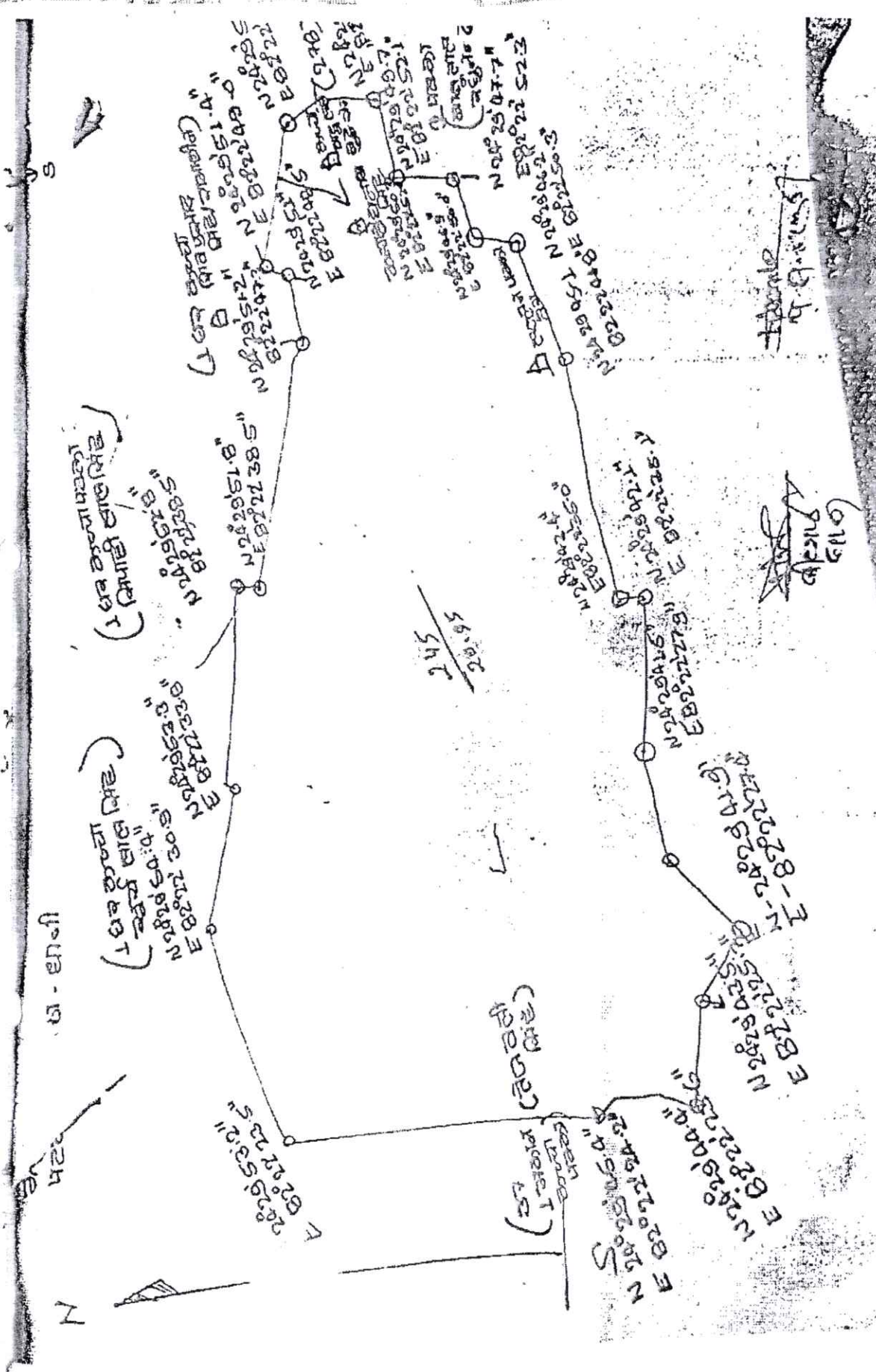
आत्म तव समिति विदुषी
एव परितोष कर्तुं आ वि विदुषी ॥ १ ॥

210/56
अध्यापक

— वाचं धेनुमुपासीत ।
एतन्मया यज्ञं कथं वाचं विष्णोर्वासीत ।

2, BL 130135/1018

॥ वाचं धेनुमुपासीत ॥



Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

Handwritten text in Odia script, possibly a signature or a note.

न्यायालय कलेक्टर जिला -सिंगरौली (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 55/अ-20(3)/2022-23

विषय:- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म0प्र0 शासन, वन विभाग को नजूल भूमि का अन्तरण।

संशोधित आदेश

(आज दिनांक 26 जून, 2024 को पारित एवं घोषित)

वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल, सिंगरौली द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक0/3753 सिंगरौली दिनांक 10.06.2024 द्वारा लेख किया गया है कि कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 55/अ-20(3)2022-23 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2022 द्वारा जल जीवन मिशन- समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत उसके क्रियान्वयन में प्रभावित जिले के विभिन्न वन खण्डों की लगभग 91.00 हेक्टर वन भूमियों के बदले ग्राम पिपरी तहसील चितरंगी स्थित शासकीय नजूल आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 20.80 हेक्टर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग को अंतरित की गई है, जबकि उक्त अंतरित भूमि में से अंशभाग 17.00 हेक्टर रकबा ही वन विभाग द्वारा उपयुक्त पाई गई है। अतएव वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उन्हें अंतरित 20.80 हेक्टर में से वनीकरण हेतु उपयुक्त 17.00 हेक्टर भूमि का अंतरण किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रकरण एवं संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा जल जीवन मिशन के लिए नियुक्त क्रियान्वयन एजेंसी मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, बैद्वन एवं उपखण्ड अधिकारी/नजूल अधिकारी, चितरंगी के प्रस्ताव पर ग्राम पिपरी तहसील चितरंगी स्थित शासकीय नजूल आराजी खसरा नंबर 245 रकबा 20.80 हेक्टर वन विभाग को अंतरित की गई है। वन विभाग द्वारा उन्हें अंतरित 20.80 हेक्टर भूमि में से क्षतिपूर्ति हेतु चयनित 17.00 हेक्टर भूमि उपयुक्त होना बताया है। एतदर्थ इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 55/अ-20(3)2022-23 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अंतरित ग्राम पिपरी तहसील चितरंगी स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 245 रकबा 20.95 हेक्टर भूमि में से चयनित अंश रकबा 17.00 हेक्टर का अंतरण मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को किया जाता है। उक्त आराजी का शेष 3.95 हेक्टर रकबा पूर्ववत मध्य प्रदेश शासन नजूल दर्ज अभिलेख रहेगा। तहसीलदार, तहसील चितरंगी तदुसार अभिलेखीय प्रविष्टियां दुरुस्त कराये। साथ ही अन्तरित किये गए एवं शेष बची नजूल भूमि के प्लाटो का संधारण कराते हुए अंतरित भूमि का अधिपत्त वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा अधिकृत वन अधिकारी को दिलाते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।



(चन्द्र शेखर शुक्ला)

कलेक्टर

जिला सिंगरौली(म0प्र0)

क्रमशः

(2)

पृष्ठांकन क्रमांक
प्रतिलिपि:-

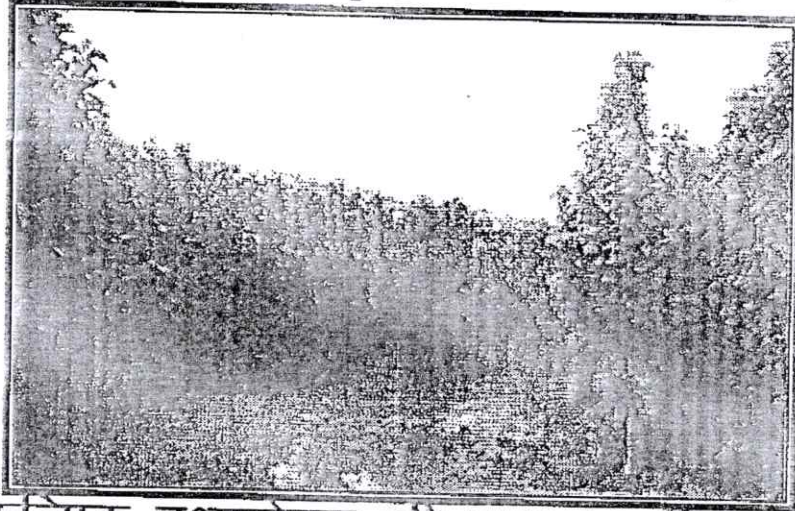
14/अभि0पासबुक/2024-25 सिंगरौली, दिनांक 26 जून, 2024

- 1- प्रधान वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2- वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली की ओर सूचनार्थ ।
- 3- उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी की ओर सूचनार्थ ।
- 4- महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित, परि0क्रिया0 इकाई, सिंगरौली ।
- 5- तहसीलदार, तहसील चितरंगी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


कलेक्टर
जिला सिंगरौली(म0प्र0)

परियोजना प्रतिवेदन



वैकल्पिक वृक्षारोपण की ग्यारह वर्षीय योजना

योजना का नाम	— गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण
कक्ष क्रमांक	— पी.एफ. 421
क्षेत्रफल	— 14 है०
योजना अवधि	— 2024-2025 से 2034-2035
प्रस्तावित राशि	— 8350993
पति हेक्टेयर व्यय	— 596500

वन परिक्षेत्र — माड़ा

वनमंडल — सिंगरौली (म.प्र.)

वनवृत्त — रीवा (मध्य प्रदेश)

सामान्य विवरण

परियोजना का नाम :- गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना
अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण

1. जिला :- सिंगरौली
2. वनमण्डल :- सिंगरौली
3. परिक्षेत्र :- माड़ा
4. तहसील :- माड़ा
5. ग्राम पंचायत :- झांझीटोला
6. बीट का नाम :- मकरोहर
7. कक्ष क्रमांक :- पी.एफ. 421
8. ग्राम वन समिति का नाम :- झांझीटोला
9. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- आर.डी.एफ.
10. मिट्टी का प्रकार :- सैण्डीलोम
11. साईट क्वालिटी :- IV B

वैकल्पिक वृक्षारोपण

ग्राम वन समिति झांझीटोला

कक्ष क्र : PF. 421

परिक्षेत्र : माड़ा

प्रस्तावित कार्य एवं औचित्य

क्र०	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित कार्यों का औचित्य
1	चेनलिक फेसिंग	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थलों की सीमापर सुरक्षा हेतु चेनलिक फेसिंग प्रस्तावित है क्योंकि क्षेत्र के आस-पास औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण रोपण क्षेत्र पर अत्याधिक जैविक दबाव है एवं क्षेत्र अतिक्रमण हेतु संवेदनशील है।
2	रोपित किये जाने वाली प्रजातियों का चयन	क्षेत्र में रोपित किये जाने हेतु क्रमशः सागौन, बांस, आंवला, महुआ, करंज, अर्जुन, का चयन किया गया है। चयनित प्रजातियों क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा कालान्तर में क्षेत्रीय जनता की आवश्यकताओं की क्षतिपूर्ति करेंगी एवं वन क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करेंगी तथा प्रति इकाई उपलब्ध होने वाली वनोपज एवं उसके मूल्य की वृद्धि करेगी।
		महुआ पौधों का रोपण-महुआ सिंगरौली जिले की विशेष प्रजाति है जो यहाँ के अधिकांश ग्रामीणों के जीवोपार्जन में सहयोगी रही है। अतः प्रस्तावित रोपण स्थल में रिक्त स्थानों में सागौन के साथ मिश्रण कर महुआ पौधों का रोपण एवं बीज रोपण प्रस्तावित किया जा रहा है, ताकि स्थानीय ग्रामीणों को महुआ व उपलब्धता बनी रहे।
		स्थानीय वनों में पाई जाने वाली प्रजातियाँ जैसे आंवला, महुआ, करंज, खम्हार, साजा, आदि के बीजों बोवाई करने का प्रस्ताव रोपण क्षेत्र में किया जा रहा है ताकि जैवविविधता का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
		प्रस्तावित रोपण योजना में प्रयास यह किया जावेगा प्राकृतिक रूप से वनों में पाई जाने वाली प्रजातियाँ विद्यमान रहें, ताकि क्षेत्र के माईक्रोकलाईमेट को क्षति न पहुँचे। इस कारणवश स्थानीय वन क्षेत्र के लिए बाहरी प्रजातियों रोपण प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है।
3	भू-जल संरक्षण संरचनाएं	क्षेत्र भूक्षरण से प्रभावित है अतः क्षेत्र की भू एवं जल संरक्षण हेतु आवश्यक संरचनाएं चेकडेम, परकोलेशन टैंक, नाला बंधान का प्रस्ताव क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है।

4	पर्यावरण संरक्षण	औद्योगिक प्रदूषण से होने वाली क्षति एवं जिन वनों का जैविक दबाव से ह्रास हो रहा था क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा एवं रोपण कर पुनः क्षेत्र को हरीतिमा से आच्छादित कर पर्यावरणसुधार हेतु आवश्यक सहयोग दिया जाना प्रस्तावित हैं।
5	जैव विविधता का संरक्षण एवं विकास	प्रस्तावित क्षेत्र में वर्तमान में उपलब्ध सभी प्रजातियों की पूर्ण सुरक्षा एवं प्रस्तावित संवर्धन कार्य जैसे सी.बी.ओ. विकृत पौध कटाई एवं स्थानिय प्रजातियों के बीज बोवाई आदि कार्य से क्षेत्र को विकसित करने का समुचित अवसर प्रदान कराया जा रहा है।
6	जन सहयोग प्राप्त कर संयुक्त वनप्रबंध का सुदृढीकरण	प्रस्तावित रोपण स्थलों से संबंध ग्रामीणों को समुचित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही आस्थामूलक राशि का उनके प्रस्तावानुसार स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यय किया जावेगा। कालान्तर में रोपण में प्राप्त होने वाली वनोपज का उपयोग कर संयुक्त वन प्रबंध के व्यवस्था को सुदृढ किया जाना प्रस्तावित हैं।
7	रोपण हेतु रणनीति	प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में अत्याधिक जैविक दबाव से भूमि टोस हो गई है। अतः रोपण की सफलता हेतु गड्डों का आकार 45x45x45 रखा जा रहा है।
8	मानव संसाधन विकास	मानव संसाधन विकास हेतु परियोजना प्रतिवेदन में पृथक से प्रावधान रखा गया है जिसमें स्थलों के आस-पास रहने वाले ग्रामीणों को विभिन्न वनोपज आधारित कुटीर उद्योगों जैसे बांस द्वारा निर्मित उत्पाद, महुआ एवं आवले का क्रय एवं विपणन आदि में प्रशिक्षित कर रोजगार के साधन विकसित किये जावेंगे जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
9	इकोटूरिज्म	रोपित क्षेत्रों को हरीतिमा से आच्छादित कर औद्योगिक क्षेत्र के निवासियों के मन में पर्यावरण के प्रति रुझान एवं जागृति उत्पन्न की जावेगी।
10	अनुसंधान एवं विस्तार प्रदर्शन प्रक्षेत्र	रोपित क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं को निर्मित कर क्षेत्र को भूक्षरण से होने वाले क्षति तथा रोपण से होने वाले लाभ की जानकारी जन सामान्य एवं कर्मचारियों को उपलब्ध कराना तथा वनों के सर्वांगीण विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करना।
11	अधो संरचना विकास	अधोसंरचना विकास की राशि से नाका /परिक्षेत्र सहायक आवास एवं बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य कर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने के साथ-साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग - 1 सामान्य विवरण

1.	योजना का विवरण	गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण
	(अ) योजना का नाम	वैकल्पिक वृक्षारोपण
	(ब) भारत सरकार का अनुमोदन	
	(स) प्रत्यावर्तित वनभूमि का विवरण	वनभूमि
1.	जिला	— सिंगरौली (मध्य प्रदेश)
2.	वन मण्डल	— सिंगरौली
3.	परिक्षेत्र	— माड़ा
4.	तहसील	— माड़ा
5.	विकास खण्ड	— वैढ़न
6.	विधान सभा क्षेत्र	— सिंगरौली
7.	क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	— मकरोहर
8.	क्षेत्रीय परिसर (बीट)	— मकरोहर
9.	स्थल विशेष जानकारी	—
	ग्राम वन समिति	— ग्राम वन समिति झांझीटोला
	वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक	— पी.एफ. 421
	कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे०)	— 456.83 है०
	कार्यवृत्त	— आर.डी.एफ.
	उपचार श्रेणी/प्रबंध श्रेणी	— मकरोहर
	उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष	— —
	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	— 25-30 कि०मी०
10.	गठित समिति का प्रकार	— ग्राम वन समिति झांझीटोला
11.	समिति का मुख्यालय	— मकरोहर
12.	समिति में सम्मिलित ग्राम	— झांझीटोला
13.	समिति के अध्यक्ष का नाम	— श्रीमती सुखमन्ती सिंह गोंड
14.	परिसर रक्षक/वन रक्षक का नाम	— श्री अविनाश पति त्रिपाठी वनरक्षक
15.	परिक्षेत्र सहायक का नाम	— श्री सुखलाल साकेत उपवनक्षेत्रपाल

	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल	पु0	म0	कुल
आदिवासी	140	120	260	130	120	250	15	10	25	0	0	0	285	250	535
हरिजन	20	15	35	30	20	50	5	3	8	0	0	0	55	38	93
पिछड़ा वर्ग	250	210	460	180	150	330	20	10	30	0	0	0	450	370	820
सामान्य	110	80	190	75	50	125	0	0	0	0	0	0	185	130	315
योग	520	425	945	415	340	755	40	23	63	0	0	0	975	788	1763

17- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं रचना -

- | | | | |
|-------|---|---|----------------------------|
| i- | टोपोग्राफी | - | समतल, उबड़-खबड़ एवं पहाड़ी |
| ii- | एस्पेक्ट | - | चारो ओर |
| iii- | ढलान | - | उत्तर-दक्षिण |
| | A- पानी निकासी | | अच्छी |
| | B- भू-क्षरण | | मध्यम |
| iv- | चट्टानों का विवरण | - | सैण्डस्टोन |
| v- | मिट्टी का प्रकार | - | सेन्डीलोम |
| vi- | औसत वार्षिक वर्षा | - | 110 से.मी. |
| vii- | नरम मिट्टी का क्षेत्र | - | 10 हेक्टेयर |
| viii- | कड़ी मिट्टी का क्षेत्र | - | 04 हेक्टेयर |
| ix- | पथरीली मिट्टी | - | निल |
| x- | आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र | - | निल |
| xi- | आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र | - | निल |
| xii- | खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना) क्षेत्र | - | निरंक |
| xiii- | वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र | - | 14 हेक्टेयर |
| xiv- | चारागाह रोपण योग्य क्षेत्र | - | निरंक |
| xv- | विकृत बांस का क्षेत्र | - | निरंक |
| xvi- | क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) है | - | निरंक |

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	सामान्य	40 प्रतिशत	निरंक
चराई	निरंक	निरंक	निरंक
मानव	सामान्य	सामान्य	निरंक

18- योजना का उद्देश्य

- A- परियोजना हेतु व्यवर्तित क्षेत्र से दुग्ने क्षेत्र का वनीकरण।
- B- क्षेत्र में पूर्व में मौजूद जड़ भण्डार को विकसित करना।
- C- क्षेत्र में मौजूद विकृत पौधों को कटबैक कर सीधे वृक्ष के रूप में परिवर्तित करना।
- D- वृक्षारोपण क्षेत्र का वनीकरण कर क्षेत्र को हरा-भरा बनाना।
- E- क्षेत्र का जल संरक्षण संरचनाएं निर्मित कर जल-स्तर को ऊपर उठाना।
- F- समिति सदस्यों को रोजगार मुहैया कराना एवं कालान्तर में स्थापित वन से सस्टेनेबल लाभ प्राप्त करना।
- G- क्षेत्रीय जनता को रोजगार उपलब्ध करना।

19-	उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण	
	i- कटबैक का क्षेत्र	- निरंक
	ii- वृक्षारोपण का क्षेत्र	- 14 हेक्टेयर
	iii- भू एवं जल संरक्षण का क्षेत्र	- 02 हेक्टेयर
20-	रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे	- ओबरी, टिकरी, निगरी एवं मोरवा नर्सरी
21-	रोपणी से रोपण स्थल की दूरी	-
	i- वाहन द्वारा (कि.मी.)	- 100 कि.मी से 180 किलोमीटर
	ii- सिरबोझ द्वारा (कि.मी.)	- 1 से 2 कि.मी.
22-	सिंचाई का विवरण :-	
	i- जल स्रोत	- नदी, नाला
	ii- वृक्षारोपण से दूरी	- 1 कि०मी०
	iii- सिंचाई प्रकार	- मजदूरी
	iv- बिजली उपलब्धता	- निरंक
23-	योजना अवधि	- वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक
24-	योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय (विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)	- 8350993
25-	प्रति हेक्टेयर व्यय	596500
26-	अन्य विवरण	

क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा हेतु संवेदनशीलता के मद्देनजर चेनलिंग फेंसिंग का प्रावधान रखा गया है तथा प्रभावी सुरक्षा हेतु परियोजना की अवधि ग्यारह वर्षीय रखी गई है। रोपण क्षेत्र की सुरक्षा ग्राम वन समितियों के माध्यम से की जायगी।

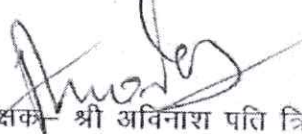

R.O. Madet


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेडन

भाग-2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं।


परिसर रक्षक- श्री अविनाश पति त्रिपाठी वनरक्षक
सचिव- ग्राम वन समिति झांझीटोला

प्रमाणित किया जाता है कि स्थल का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई।


परिक्षेत्र सहायक- श्री सुखलाल साकेत उपवनक्षेत्रपाल
परिक्षेत्र सहायक वृत्त- मकरोहर

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार/वृक्षारोपण कार्य के योग्य है।


SDO Wardhan
उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेदुन


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

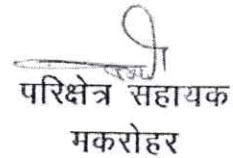
प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र माड़ा अन्तर्गत बीट मकरोहर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 421 रकबा 14 हेक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



वनरक्षक

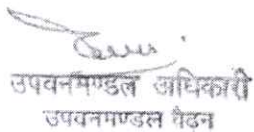
बीट गार्ड मकरोहर

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र माड़ा अन्तर्गत बीट मकरोहर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 421 रकबा 14 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



परिक्षेत्र सहायक
मकरोहर

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र माड़ा अन्तर्गत बीट मकरोहर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 421 रकबा 14 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल पैड़न



वन परिक्षेत्र अधिकारी
माड़ा

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गोंड़ देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण बीट मकरोहर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 421 रकवा 14 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र माड़ा में स्थित है। इस स्थल के समीप पत्थर दीवार/फेंसिंग बनाने हेतु पत्थर की उपलब्धता नगण्य है। "वृक्षारोपण क्षेत्र के घेराव का एक मात्र एवं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चेनलिक फेंसिंग ही है, वृक्षारोपण क्षेत्र में चेनलिक फेंसिंग का घेराव हो जाने पर वृक्षारोपण क्षेत्र एवं चेनलिक फेंसिंग की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी"


वन मण्डल अधिकारी
मकरोहर क्षेत्र


वन परिक्षेत्र अधिकारी
माड़ा


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण के प्रोजेक्ट परीक्षण हेतु
चेक-लिस्ट

स्थल- मकरोहर , पी.एफ. 421, रकबा 14 हेक्टेयर वर्ष 2024-25

क्र०	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रस्तावित राशि	प्रति (हेक्टेयर व्यय)	समिति की सामान्य जानकारी	उपचार की जानकारी	प्राक्कलन	उपचार मानचित्र	गुगल मानचित्र	स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	घेराव कार्य हेतु प्रमाण-पत्र	ग्राम वन समिति का प्रस्ताव	.KML फाईल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण	14	8350993	596500	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	ई-मेल से प्रेषण	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र गाड़ा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 14000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	5500	1 से 1.5 वर्ष	45 सेमी.	3.5 से 5 सेमी.
आंवला	2000	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
खम्हेर	2000	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
करंज	2000	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
सीसम	1000	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
अर्जुन	500	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
जामुन	—	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
नीम	1000	1 वर्ष	45 सेमी.	2 से 2.5 सेमी.
योग—	14000			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी चेकडेम एवं परकोलेशन टैंक बनाये जायेंगे। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से पत्थर चेकडेम निर्माण कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्डाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत चौथे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। पांचवें वर्ष में 2 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 14 हेक्टेयर)

(असिंचित)

वैकल्पिक वृक्षारोपण की ग्यारह वर्षीय योजना

बीट - मकरोहर

कक्ष क्रमांक

PF 421

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

रकबा

14

हेक्टेयर

दर

391

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2024-25

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	14	हे०	0.45	हे०	6	2463	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	14	हे०	1.00	-	14	5474	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	14	हे०	4.00	प्रति हे०	56	21896	जॉबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	5	हे०	12.50	प्रति हेक्ट	63	24438	जॉबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 3cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कॉक्रीट से भरा जायेगा।	1600	र.मी.	2.4	र.मी.	3840	1501440	गणना के आधार पर
7	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	14000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	35	13685	जॉबदर
8	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या 45x45x45 cm.	14000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	700	273700	जॉबदर
9	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	382.73	घ०मी०	1.5	घ०मी०	574	224468	बाजार दर
10	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	191.36	घ०मी०	3	घ०मी०	574	224468	बाजार दर
11	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	14000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	210	82110	जॉबदर
12	हट निर्माण	1	Lumsum			256	100000	अनुमानित
13	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					450	175950	अनुमानित
	योग					6778	2650092	
14	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		14 हे०					
	1. मिट्टी बंधान (मिट्टी के चेकडेम)	456	घ.मी.	0.60	घ.मी.	274	106978	APCCF जॉब
	2. लूज बोल्टर वेकडेम	100	घ.मी.	1.00	घ.मी.	100	39100	APCCF जॉब
	3. परकोलेशन टैंक निर्माण	1	प्रति नग	500000	प्रति नग	1279	500000	RES SOR
	योग भू-जल संरक्षण कार्य -	योग				1652	646078	
	कुल योग					8430	3296170	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेदुन

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरेली

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

योजना का द्वितीय वर्ष 2025-26

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		दर	391	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई	कुल मानव दिवस	राशि	
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	14000	पौधे	0.03968	पौधा	556	217208	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	2800	पौधे	0.03968	पौधा	111	43442	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	16800	पौधे	1.78	सैकड़ा	299.04	116925	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	16800	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	67.2	26275	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	5	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	40	15640	जॉबदर
4	रोपण							
	45x45x45 cm.	14000	गद्दे	1.8	प्रति सैकड़ा	252	98532	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1.25	प्रति सैकड़ा	175	68425	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	14000	गद्दे	0.6	प्रति सैकड़ा	84	32844	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
10	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	9	माह			270	105570	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	14000			Lumsum	200	78200	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					150	58650	अनुमानित
					योग:-	2496	976102	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल पैड़न

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

योजना का तृतीय वर्ष 2026-27

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	1400	नग	0.03968	पौधा	56	21721	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	1400	नग	1.78	प्रति सैकड़ा	24.92	9743.72	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1400	नग	0.4	प्रति सैकड़ा	5.6	2189.6	जॉबदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	1600	र.मी.	1	र.मी.	100	39100	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1.25	प्रति सैकड़ा	175	68425	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	14000	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	14000	गद्दे	0.6	प्रति सैकड़ा	84	32844	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
9	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		गद्दे		Lumsum		0	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	78200	अनुमानित
योग:-						1298	507374	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेदन

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरी

योजना का चतुर्थ वर्ष 2027-28

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	1400	नग	0.03968	पौधा	56	21721	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	1400	नग	1.78	सैकड़ा	25	9743.72	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1400	नग	0.4	सैकड़ा	6	2189.6	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	14000	नग	1.25	सैकड़ा	175	68425	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	14000	नग	1	सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
5	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	14000	नग	1	सैकड़ा	140	54740	जॉबदर
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	14000	नग	0.6	सैकड़ा	84	32844	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
8	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	78200	अनुमानित
	योग:-					1198	468274	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल बैड़न

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2028-29

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		दर	391	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	1600	र.मी.	1	र.मी.	120	46920	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	14000	नग	1.25	1.25/100	175	68425	जॉबदर
3	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	14000	नग	1	1 मादि/100	140	54740	जॉबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	14000	नग	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	84	32844	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	3.35 /किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	2.25/किमी	7	2815	जॉबदर
6	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
7	अन्य व्यय					100	39100	अनुमानित
	योग:-					992	387700	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल वेड़न

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र भाड़ा

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

योजना का अष्टम वर्ष 2031-32

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	20	7820	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	34	13294	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	19550	अनुमानित
	योग:-					464	181424	

योजना का नवम वर्ष 2032-33

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	19550	अनुमानित
	योग:-					423	165221	

योजना का दशम वर्ष 2033-34

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	19550	अनुमानित
	योग:-					423	165221	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2034-35

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1600	mtr	3.35	किमी	5	2096	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	3200	mtr	2.25	किमी	7	2815	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक)	12	माह			360	140760	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	19427	अनुमानित
	योग:-					422	165098	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल गेटन

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरोली

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

गोश्वारा, आदर्श रोपण
14 हे० असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि उपरान्त प्रस्तावित मानव दिवस	राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय (रु० में)
प्रथम 2024-25	8430	1	8430	3296169.83	235440.70
द्वितीय 2025-26	2496	1.06	2646	1034667.89	73904.85
तृतीय 2026-27	1298	1.1236	1458	570085.55	40720.40
चतुर्थ 2027-28	1198	1.191	1426	557714.47	39836.75
पंचम 2028-29	992	1.2625	1252	489471.20	34962.23
षष्ठम 2029-30	464	1.3382	621	242900.89	17350.06
सप्तम 2030-31	523	1.4185	741	289829.28	20702.09
अष्टम 2031-32	464	1.504	698	272861.70	19490.12
नवम 2032-33	423	1.594	674	263362.21	18811.59
दशम 2033-34	423	1.69	714	279223.42	19944.53
ग्यारवा 2034-35	422	1.79	756	295525.75	21108.98
कुल योग	17132	14.9718	19416	7591812.19	542272.30
प्रति हे० व्यय				542272	
आस्था मूलक कार्य(जे०एफ०एम० आदि) कुल 11 वर्ष के व्यय का 5%		5%	971	379591	27114
मानव संसाधन विकास कार्य कुल 11 वर्ष के व्यय का 1%		1%	194	75918	5423
मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य कुल 11 वर्ष के व्यय का 4%		4%	777	303672	21691
योग -		10%	1942	759181	54227
कुल योग -			21358	8350993	596500

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र माड़ा

उप वनमण्डल अधिकारी
उप वन मण्डल बैढ़न

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सिंगरौली (सा०)

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म०प्र०)

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/मा.वि./151 दिनांक 27-06-2024

पेपर भाग पंद्रह

गांव पड़ोस गांव में लगे हुए जंगल में
जंगल में लगे हुए जंगल में
मोटे-मोटे
रकबा - 14 हे.

N
↓
S

P-421

अज्ञात क्षेत्र

अज्ञात क्षेत्र -
जंगल



जंगल में लगे हुए
जंगल में लगे हुए

जंगल में लगे हुए
जंगल में लगे हुए

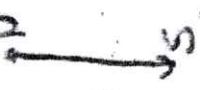
जंगल में लगे हुए
जंगल में लगे हुए

जंगल में लगे हुए
जंगल में लगे हुए

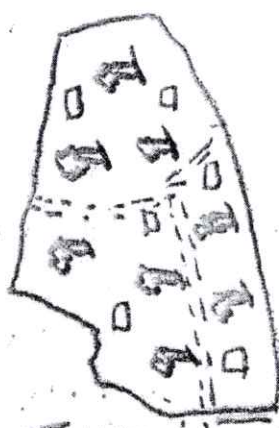
जंगल में लगे हुए
जंगल में लगे हुए

अधिकांश जंगल-क्षेत्र

गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र



गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र
गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र
गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र



P-421

पर्वत
गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र
गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र
गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र

गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र
गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र

गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र
गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र

गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र
गोरे-देवपुर-अधिकांश जंगल-क्षेत्र

Geo Referenced map for compensatory Afforestation

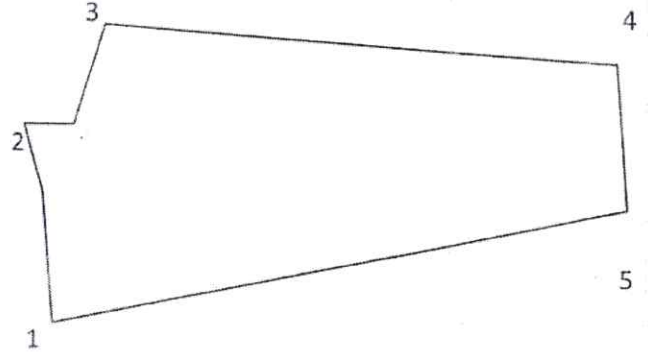
Division :- Singrauli

Propasal No :-

Proposal Name :- Gond Dewsar Gramin Samuh Jal Praday Yojana

Compartment No :- PF 421 14 Heq

Sr N	Latitude (N)	Longitude (E)
1	23°54'47.87"N	82°38'14.77"E
2	23°54'56.70"N	82°38'14.58"E
3	23°55'0.82"N	82°38'18.57"E
4	23°54'58.96"N	82°38'30.82"E
5	23°54'53.78"N	82°38'31.40"E




वनरक्षक
बीट गार्ड मकरोहर


प.स. मकरोहर


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र-माड़ा

Untitled Map

Write a description for your map.

Legend

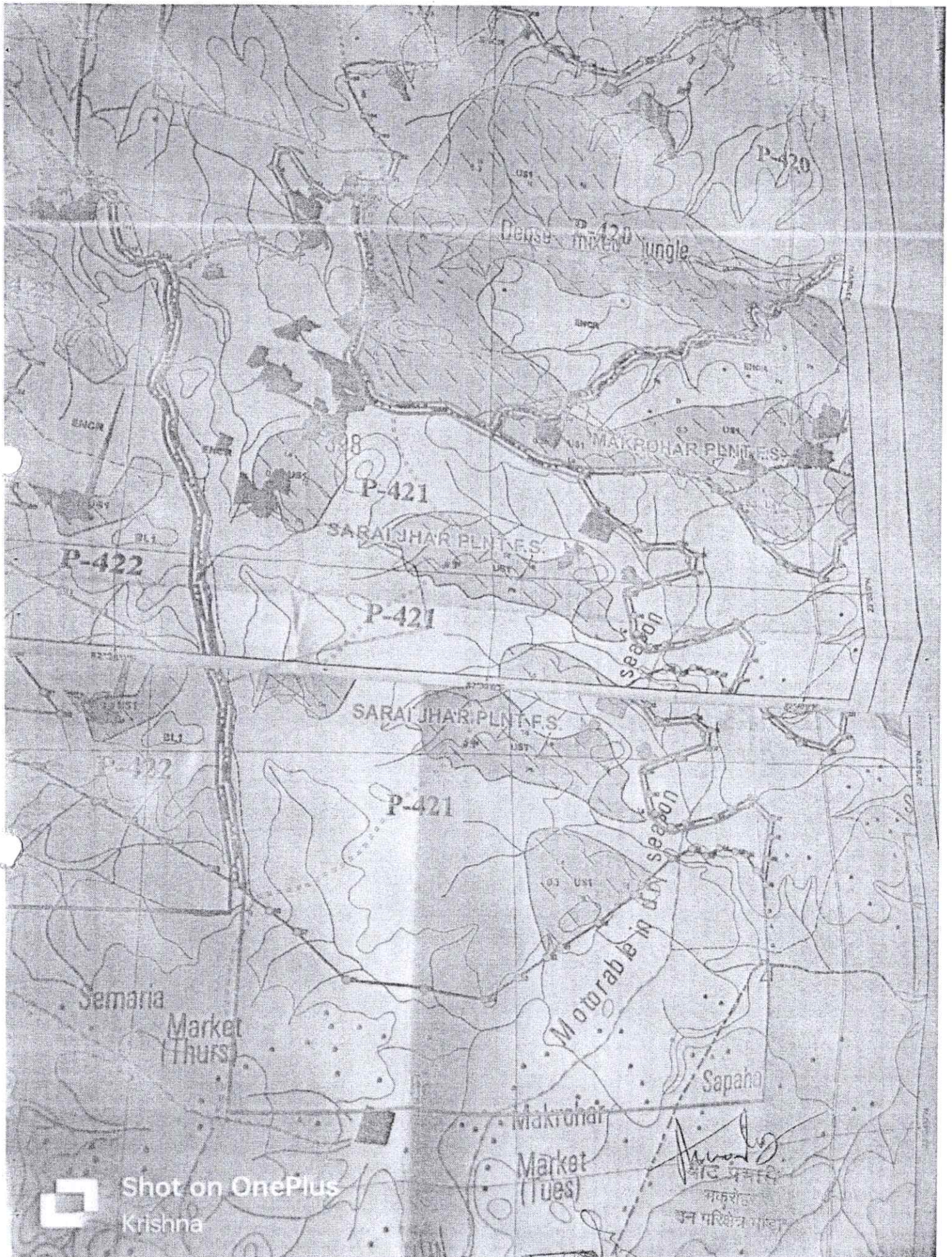
- Belauhinath Mandir
- BHAGWAN FILLING STATION
- Feature 1
- Feature 2



Handwritten signature

Handwritten signature

वर्ग परिसरालयकारी
वर्ग परिसरालयकारी



कार्यालय ग्राम वन समिति झांझीटोला, बीट मकरोहर, वन परिक्षेत्र माड़ा

पंजीयन क्रमांक/006

दिनांक 04.02.1997

समिति मुख्यालय :- मकरोहर

दिनांक :- 17.10.2023

समय :- 11:00 ए.एम.

बैठक प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी

आज दिनांक 17.10.2023 को बीट मकरोहर अन्तर्गत ग्राम वन समिति झांझीटोला के प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी की बैठक का आयोजन अध्यक्ष श्रीमती सुखमन्ती सिंह गोंड की अध्यक्षता में सम्पन्न किया गया। जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही व निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

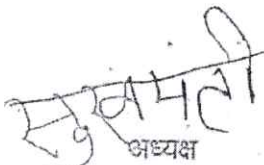
क्रमांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	पद	हस्ताक्षर
(1)	श्रीमती सुखमन्ती सिंह गोंड	अध्यक्ष	सही
(2)	श्री पन्नेलाल नाई	उपाध्यक्ष	सही
(3)	श्री महावीर सिंह गोंड	सदस्य	सही
(4)	श्री रुपनारायण सिंह	सदस्य	सही
(5)	श्री यशवंत सिंह	सदस्य	सही
(6)	श्री सभापती सिंह	सदस्य	सही
(7)	श्री राजकरन सिंह	सदस्य	सही

प्रस्ताव

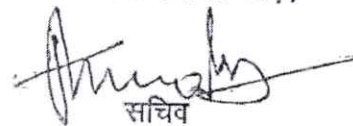
ग्राम वन समिति झांझीटोला अन्तर्गत बीट मकरोहर के वन कक्ष क्रमांक पी. एफ. 421 में बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जाने बावत्

निर्णय

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम वन समिति झांझीटोला अन्तर्गत बीट मकरोहर के वन कक्ष क्रमांक पी. एफ. 421 में गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराया जाए।


अध्यक्ष

ग्राम वन समिति झांझीटोला


सचिव

ग्राम वन समिति झांझीटोला

